भूमिका

मैंने संवत् १९४२ में मीज़ान अदालत नाम एक उर्दू ग्रन्थ बना कर छपवाया था जिसमें प्राचीन राजाओं, बादशाहों और हिंदु मुसलमान हाकिमों तथा सरदारों के सच्चे और यथार्थ न्याय इतिहासों से उद्धृत कर के संग्रह किये थे। उसी का यह हिन्दी अनुवाद है, जो कई न्यायानुरागी सज्जनों के आग्रह से किया गया है। इससे पहले भी एक उलथा नागरी अक्षरों का इन्साफ़-संग्रह के नाम से छपवाया था। परन्तु वह तभी हाथों हाथ बिक गया। उस में शब्द फ़ारसी के अधिक थे जिस से हिन्दीवालों के लिए कम सुगम था। इस वास्ते अब यह अनुवाद बहुत सरल भाषा में किया गया। जिसको सर्वसाधारण समझलें और जो कहीं कहीं कई ज़रूरी बोल चाल के उर्दू शब्द आ गये हैं वे ऐसे नहीं हैं जो किसी की समझ में न आवें। इस पुस्तक का नाम जो इन्साफ़संग्रह रक्खा गया है, आधा फ़ारसी और आधा हिन्दी है। और इसी से उस पर बूँदी के स्वर्गवासी महाराजा श्रीरामसिंहजी रुके थे जब कि पहली आवृत्ति की प्रति उन की सेवा में उपस्थित की गई थी। परन्तु फिर विचार कर फ़रमाया कि "ठीक है। यदि न्याय संग्रह नाम रक्खा जाता तो उसमें संदेह रहता क्योंकि न्याय का अर्थ इन्साफ़ के सिवा और भी है। इन्साफ़ शब्द यद्यपि अपनी भाषा का नहीं है"। तो भी बहुत प्रचलित है। गाँव का एक गँवार भी उसका अर्थ समझ लेता है।

जब मैंने यह सुना तब श्रीमान् की गुणज्ञता का बहुत धन्यवाद पण्डितवर श्री गंगासहाय जी द्वारा निवेदन किया जो उस समय बूँदी राज्य के अमात्य थे।

इस ग्रन्थ में पाठकों को जो प्राचीन न्याय मिलेंगे वे रोचक होने के अतिरिक्त उनको इस बात का भी परिचय देंगे कि आधुनिक समय की अपेक्षा पहले इन्साफ़ कितना शीघ्र और सुगमता से होता था, जिस के वास्ते एक कौड़ी का काग़ज़ भी नहीं लगाना पड़ता था। बहुत समय भी उस की प्राप्ति में नहीं लगता था और उसके वास्ते कोई फ़ीस और वकील वैरिष्टर

आदि की सहायता लेने की आवश्यकता न पड़ने से बहुत सा ख़र्च और कष्ट भी उठाना नहीं पड़ता था। वादी प्रतिवादी न्यायाधीश के सामने जाकर अपनी बोली में हाल कह देते थे। वह उसको समझ कर जो करना होता था कर देता था और जो कदाचित् किसी का न्याय नहीं होता था तो अपने घर आ बैठता था। अब तो बहुधा न्याय-सम्बन्धी बहुत सा ख़र्च पड़जाने के बोझ में दब कर घर ही उजड़ जाते हैं।

दूसरा आधार न्याय पाने का जातीय वा ग्रामीण तथा नगरस्थ पंचायतों पर था। जो प्राचीन समय में अपनी अपनी जाति और बस्ती का न्याय साधारण और सरल रीति से चुका कर दोनों पक्ष अर्थात् वादी प्रतिवादी को राज़ी बाजी कर देती थीं सो अब भी जो पंचायत की प्रथा पुनः प्रचलित हो जाय तो प्रजा को न्याय पाने में इतना कष्ट न रहे। सुनते तो हैं कि भारत सरकार के ध्यान में कुछ समय से पंचायत की बास आई हुई है और उसके वास्ते कुछ विचार भी हो रहा है। परमेश्वर वह दिन करे कि जब भारतवासियों को अपनी सरकार के निष्पक्ष न्याय का लाभ पंचायत द्वारा बड़ी सरलता और सुगमता से मिलने लगे।

जोधपुर, मारवाड़
चैतसुदी १ सं० १९६८

देवीप्रसाद, मुन्सिफ़।

इन्साफ़-संग्रह

इन्साफ़ १

जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब दो ब्राह्मण उनके पास पुकारू आये। एक तो यह कहता था कि मैंने इससे ज़मीन मोल ली थी। उसमें कुछ ख़ज़ाना निकला है। यह उसको नहीं लेता। मैंने ज़मीन मोल ली है; ख़ज़ाना मोल नहीं लिया है। दूसरा कहता था कि मुझे ख़ज़ाने की कुछ ख़बर नहीं थी। अब जो ज़मीन बेच देने के पीछे निकला है तो यह इसके भाग का है। मैं कैसे ले लूँ। महाराज बहुत हैरान हुए कि इसका इन्साफ़ कैसे करें। श्रीकृष्ण भगवान् भी उस समय वहीं विराजमान थे। उन्होंने फ़रमाया कि अभी तो रासविलास के दिन हैं। इनसे कह दो कि तीन महीने पीछे आवें। वे ब्राह्मण तब तो चले गये परन्तु जब तीन महीने पीछे आये तब उनकी मति बदल गई थी। जो मुद्दई था वह तो मुद्दाअलेह बन गया था और जो मुद्दाअलेह था वह मुद्दई हो गया था अर्थात् जिसने ज़मीन बेची थी वह तो अब ख़ज़ाने का दावा करता था और जिसको ख़ज़ाना मिला था वह उसके देने से इनकार करता था। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा अचम्भा हुआ। उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान् से पूछा कि अब फ़रमाइए? आपने फ़रमाया कि बस, अब कलियुग आ गया। हमने तीन महिने की मुहलत इसी बात की जाँच के वास्ते दी थी सो देख लीजिए कि लोगों की मति क्या से क्या हो गई। अब इनका यही इन्साफ़ है कि ख़ज़ाने के दो हिस्से करके दोनों को दिला दीजिए। इस फ़ैसले से दोनों राज़ी होकर चले गये। श्रीकृष्णजी ने

फ़रमाया कि इन दोनों का राज़ी होना भी बड़ी बात है; नहीं तो कलियुग में लोग ऐसे फ़ैसले पर भी राज़ी नहीं होंगे और राजा ऐसे होंगे कि इतना सा इन्साफ़ भी नहीं कर जानेंगे।

इन्साफ़ २

तीन आदमियों ने एक ही प्रकार का क़सूर किया था। मगर राजा विक्रमादित्य ने एक एक को जुदी जुदी सज़ा दी अर्थात् एक को तो बुला कर इतना ही कहा कि तुम जैसे भले आदमी को ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। दूसरे को बुला कर गाली दी और कुछ झिड़का भी। तीसरे को काला मुँह करा कर गधे पर सवार कराया और शहर के चौफेर फिराया। किसी ने अरज़ की कि हज़ूर ! जुर्म तो एक ही क़िस्म का था, मगर आपने कम, ज़ियादा सज़ा कैसे दी? राजा ने फ़रमाया कि अच्छा तीनों की ख़बर मँगाओ और देखो क्या करते हैं। यह ख़बर आई कि वह आदमी तो कि जिसको ओलंभा दिया था, ज़हर खाकर मर गया और जिसको गाली दी थी वह घर बार छोड़ कर चला गया; मगर तीसरा आदमी पोशाक बदल कर शराब के नशे में बेधड़क जुआ खेल रहा है। उसने शरमिन्दा होकर राजा की न्याय-नीति और अपराधियों की प्रकृति पहचान कर दण्ड देने का विधान जान और मान कर कान पकड़ लिया।

इन्साफ़ ३

राजा इन्द्र के अखाड़े में रम्भा और उर्वशी के विषय में बहुत दिनों से यह बहस चली आती थी कि इन दोनों अप्सराओं में कौन किससे बढ़ कर हैं; मगर इसका फ़ैसला किसी से नहीं होता था। निदान राजा इन्द्र ने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और न्यायनीति की तारीफ़ सुन कर उनको अपनी सभा में बुलाया और बड़ी ख़ातिर से सिंहासन पर अपने बराबर बैठा कर फ़रमाया कि आदमियों के इन्साफ़ तो तुम करते ही हो, एक छोटा सा फ़ैसला हमारा भी करो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, फ़रमाइए। राजा इन्द्र ने कहा, यह बताओ कि इन अप्सराओं में कौन अधिकतर चतुर है, और उन को नाचने का हुक्म दिया। पहले रम्भा ने मुजरा किया और अपने करतब

दिखलाये। फिर उर्वशी आई और नाचने लगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इनमें फ़रक बताना तो मुश्किल है। इतने में एक शहद की मक्खी उड़ती-उर्वशी की छाती पर जा बैठी और काटने लगी। उर्वशी ने उसको हाथ से उड़ाना ठीक न समझ कर कि ऐसा करने में एक तो फूहड़पना ज़ाहिर होता है और दूसरे गत बिगड़ जाती है, स्वरोदय से काम लिया अर्थात् साँस खींच कर छाती के रास्ते इस ज़ोर से निकाला कि वह मक्खी वहाँ से उड़ गई और मज़ा यह कि किसी को उसके बैठने और उड़ने की ख़बर तक नहीं हुई क्योंकि उर्वशी जिस गति से नाचती थी उसी गति से नाचती रही; मगर राजा विक्रमादित्य ने यह चरित्र देख लिया और उच्च स्वर से शाबाशी दे कर कहा कि उर्वशी रम्भा से बढ़ कर है। फिर राजा इन्द्र को वह सारा चमत्कार उसकी चतुरता का कह सुनाया। राजा इन्द्र ने ऐसा सूक्ष्म रहस्य जान लेने से प्रसन्न हो कर उनको एक सिंहासन दिया जिस पर बैठ कर वे अन्त समय तक अदल और इन्साफ़ किया करते थे और जब देवलोक को चले गये तब वह सिंहासन ज़मीन में गाड़ दिया गया।

इन्साफ़ ४

उज्जैन नगरी का एक साहूकार जहाज़ में बैठ कर व्यापार के वास्ते किसी दूसरी विलायत में चला गया था। पीछे से एक भूत उसकी शकल बना कर आया और उसके घर में रहने लगा। बारह वर्ष बाद जब वह साहूकार पीछे आया और उसने उस भूत को देखा तो कहा कि तू मेरे घर में कैसे रहता है? उसने कहा, घर मेरा है और ये जोरू-बच्चे भी मेरे हैं। औरत और गुमाश्ते वग़ैरह भी सब उसी की गवाही भरते थे। साहूकार उस भूत को लेकर इन्साफ़ कराने के लिए राजा भोज की सभा में रवाना हुआ। धारा-नगरी के पास, एक टीले पर, जहाँ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन गड़ा था, एक लड़का बैठा हुआ था। उसने इन लोगों को झगड़ते हुए देख कर एक दूसरे लड़के से कहा कि इनको बुला ला। उसने उनके पास जाकर कहा कि तुमको हमारा राजा बुलाता है। तुम्हारा आपस में क्या झगड़ा है। उन्होंने कहा, हम राजा भोज के पास इन्साफ़ कराने को जाते हैं। लड़के ने कहा कि हमारा राजा तुम्हारा झगड़ा एक दम में चुका देगा। साहूकार ने कहा, बहुत अच्छा, चलो। उसने जा कर उस लड़के को सलाम किया। लड़के ने बैठने का

हुक्म देकर सारा हाल सुना और कहा कि ऐ एक साहूकार ! जो तू सच्चा है और घर बार तेरा है तो हाथ ऊँचा करके इस पेड़ का पत्ता तोड़ ला। साहूकार बहुत उचका, मगर उसका हाथ पत्ते तक नहीं पहुँचा। तब लड़के ने भूत से कहा। उसने तुरन्त हाथ बढ़ा कर पत्ता तोड़ लिया। लड़के ने कहा कि मालूम हुआ। घर तेरा है, मगर एक सबूत और लेना है ताकि यह साहूकार न कहे कि मुझको एक ही सबूत पर झूठा कर दिया। यह कह कर उसने मिट्टी का एक बँधना मँगवाया और साहूकार से कहा कि जो तू सच्चा है तो इसके अन्दर बैठ जा। उसने कह दिया कि यह तो मुझसे नहीं हो सकता। तब भूत से कहा। वह उसी दम बँधने में समा गया लेकिन जब बाहर निकलने लगा तब लड़के ने उसका मुँह बन्द कर लिया और साहूकार से कहा कि यह भूत है। छल से तेरे घर का मालिक हो गया था, अब तू इसको बँधने से बाहर मत निकलने देना। उस लड़के ने इस तरह इन्साफ़ भी किया और भूत को भी पकड़ लिया।

इन्साफ़ ५

सुन्दरपुर नाम शहर में एक करोड़पति सेठ था। उसके चार बेटे थे। उसने मरते समय अपने बेटों से कहा कि तुम चारों भाई मिल कर बड़े भाई के हुक्म में रहना और जब अलग अलग होकर धन माल बाँटने का इरादा करो तब, मैंने अपने पलँग के चारों पायों के नीचे चार प्याले सोने और जवाहिर के गाड़े हैं तुम एक एक प्याला खोद कर निकाल लेना और जो जिसके हिस्से में आवे उसी के मुआफ़िक धन माल बाँट लेना। यह कह कर वह तो मर गया और कुछ दिनों पीछे उसके बेटों ने पलँग के पास जाकर एक एक पाया बाँट लिया और उसके नीचे ज़मीन खोदी तो बड़े बेटे को तो एक प्याला मिट्टी का भरा हुआ मिला। मझले को कोयलों का, उससे छोटे को हड्डियों का और सब से छोटे को भूसी का भरा हुआ प्याला हाथ आया। उनको इससे बड़ा अचम्भा हुआ। वे अपना मुक़द्दमा उस शहर के राजा की सभा में ले गये। मगर कुछ फ़ैसला नहीं हुआ। उसी तरह दूसरे राजा भी इस मामले में कोई हुक्म तसल्ली के लायक़ नहीं दे सके। तब वे चारों भाई राजा विक्रमादित्य से इन्साफ़ कराने को चले और उज्जैन में पहुँचे। मगर राजा विक्रमादित्य उस वक़्त मौजूद न थे; कहीं बाहर गये थे। इस सबब

से ये प्रतिष्ठानपुरी में गये तो वहां के राजा से भी कुछ फ़ैसला नहीं हुआ। तब शालिवाहन नाम एक लड़के ने यह हाल सुन कर कहा कि साहूकार के लड़कों को मेरे पास ले आओ। मैं उनका न्याय कर दूँगा। इस बात से लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि यह लड़का क्यों कर इस मुक़द्दमे में फ़ैसला करेगा। बहुत से आदमी तमाशा देखने को गये। शालिवाहन ने साहूकार के लड़कों से कहा, कहो तुम्हारा क्या झगड़ा है। तब हर एक ने अपना अपना वृत्तान्त कह दिया। शालिवाहन ने कहा कि जिसके हिस्से में मिट्टी का प्याला आया है, वह तो कपड़ों की क़िस्म से तमाम जिनस ले लेवे और जिसको कोयलों का प्याला मिला है वह सोने और चांदी का मालिक है। और जिसने हड्डियों का भरा हुआ प्याला पाया है हाथी, घोड़े वग़ैरह जानवर सब उसके हैं और जिसको भूसी का प्याला हाथ आया है वह अनाज के तमाम जख़ीरों पर कब्ज़ा करे। यह तकसीमनामा तुम्हारे बाप ने पहले से तैयार करके रख दिया है और वह यह चारों चीज़ें भी बराबर मोल की ही छोड़ मरा है। साहूकार के बेटे यह इन्साफ़ पाकर राज़ी हो गये और उसके पांव छूकर अपने घर को चल दिये। शालिवाहन की बड़ी नेकनामी हुई और इसी इन्साफ़ से प्रतिष्ठानपुरी के राजा ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना लिया।

इन्साफ़ ६

राजा भोज ने दीन और हीन फ़रियादियों की पुकार सुनने के लिए, जिनका उसके पास तक पहुँचना ओहदेदारों के मारे नहीं हो सकता था, अपने महल की छत से एक घण्टा बँधवा दिया था। जिसकी डोर बाहर एक लोहे के खम्भ से बँधी रहती थी। एक दिन एक बुढ़िया ने रस्सी खोल कर वह घण्टा बजाया। राजा ने फ़ौरन चोपदार को भेजा। वह बुढ़िया को अन्दर ले गया। राजा ने पूछा कि तेरी क्या पुकार है। उसने अरज़ की कि मेरे मकान के पास एक आम का पेड़ है। उसकी एक डाली के आम, जो चार आने के थे, ज़मीदार के लड़के तोड़ ले गये। यह बात तीन महीने की है। तब से मैं मारी मारी फिरती हूँ, न ज़मीदार ने मेरी दाद दी और न उस ज़िले के हाकिम ने कुछ सुनाई की। महाराज ने यह सुन कर फ़रमाया

कि अच्छा तुम बाहर ठहरो और धर्मशास्त्री से पूछा कि धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के मुक़द्दमों का उल्लेख है और उसके अनुसार इस बुढ़िया के मुक़द्दमें की सुनाई किस प्रकार से हो सकती है। धर्मशास्त्री ने निवेदन किया कि मनुस्मृति में १८ प्रकार के मुक़द्दमे लिखे हैं जिनकी तफ़सील यह है।

१ करज़ा
२ अमानत
३ कब्ज़ा
४ सीर
५ दी हुई चीज़ लौटा लेना
६ तनख़्वाह न देना
७ क़ानून के विरुद्ध काम करना
८ लेन-देन
९ ज़मीन का टंटा
१० गाली देना
११ मार-पीट
१२ चोरी
१३ व्यभिचार
१४ जूआ
१५ छल-कपट
१६ लावारसी
१७ मर्द औरत के हक़
१८ दाय-भाग

इनकी और बहुत सी शाखें हैं जिनको मिला कर मुक़द्दमों की १०८ क़िस्में हो गई हैं। इस बुढ़िया का मुक़द्दमा भी इन्हीं में का है। उसको चोरी में गिनना चाहिए और वह सुनने के योग्य है। वे आम अगर चार आने के थे तो ज़मींदार के लड़कों से पांच गुनी क़ीमत दिला देना चाहिए। राजा को उचित है कि कभी किसी कुकर्मी और प्रजा को पीड़ा देने वाले आदमी को दण्ड देने में ग़फ़लत और सुस्ती न करे; क्योंकि यह बात राज्य की जड़ पोली कर देती है। दण्ड देने से लोगों को भय हो जाता है। अगर एक अपराधी सख़्त सज़ा पावेगा तो कभी फिर उस जुर्म को नहीं करेगा। महाराज ने कहा कि ज़मींदार के लड़कों को इस छोटे से जुर्म पर सख़्त सज़ा देना क़ानून के ख़िलाफ़ है। मैं यह चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे मुक़द्दमों की नालिश मुझ तक न पहुँचे। हर एक ज़िले के हाकिमों को आज्ञा हो जावे कि वह इस प्रकार के मुक़द्दमों का फ़ैसला क़ानून के अनुसार करके उसकी रिपोर्ट यहां भेज दिया करें और वह ज़मींदार जिसके लड़कों ने बुढ़िया के आम तोड़े हैं बड़ा आदमी है, उसको बीस आने देना क्या भार होगा। जुरमाना वह होना चाहिए जिसका देना मुजरिम को भारी जान पड़े। इसलिए इस ज़मींदार से (१००) रुपये इस बुढ़िया को दिलवाये जावें और यह कुटुम्ब

सहित चार बरस क़ैद रहें। जिसे सुन कर सब लोग अपने लड़कों की हर दम देख भाल रक्खें, और उनके चाल-चलन से गाफ़िल न रहें। उस ज़िले का हाकिम कि जहाँ यह बुढ़िया तीन महीने तक फिरती रही और उस ने इसकी फ़रियाद नहीं सुनी, इस ग़फ़लत और बेपरवाई के दोषों में छः महीने तक नौकर रहे और उसके नीचे वाले भी तीन महीने तक काम से अलग रक्खे जावें। वह राजा क्या कि जिसके कोप और कृपा का अच्छा, बुरा फल प्रकट न हो। रैयत भी ऐसे राजा को नहीं चाहती। बाद इस फ़ैसले के राजा ने अपने दरबार वालों से फ़रमाया कि तुम सब सुन रक्खो कि पहली भूल तो मैं बख़्श दूँगा, दूसरी ख़ता का बदला लूँगा और तीसरी तकसीर पर मौक़ूफ़ कर दूँगा। फिर धर्मशास्त्री से पूछा कि न्यायी राजा की क्या पहचान है? उसने कहा कि जो वेद और धर्मशास्त्र पढ़ा हो, न्याय-शास्त्र और नीतिशास्त्र को जानता हो, लोगों की रीति-रवाज से भेदू हो, असल बात का खोजी हो, सच बोलता हो और सच ही सुनने की चाह रखता हो। उसका न तो किसी से मेल हो और न किसी से वैर हो। हँसमुख, धीर, गंभीर, दबदबे वाला, समझदार, बुद्धिमान्, धर्मवान् और न्यायशील हो। वही इन्साफ़ की गद्दी के लायक़ है। वही उसका अधिकारी है।

इन्साफ़ ७

एक दिन महाराजा सवाई जयसिंहजी अपने महल की छत पर चढ़े तो कहीं एक नङ्गी स्त्री पर नज़र जा पड़ी। वे उसी समय नीचे उतर आये और धर्मशास्त्रियों को बुलवा कर पूछा कि बाप यदि जान बूझ कर अपनी बेटी को नङ्गी देख ले तो उसकी क्या सज़ा है? उन्होंने कहा कि उससे यथाशक्ति जुरमाना लेना चाहिए। महाराज ने अपने निज के दीवान को बुला कर हुक्म दिया कि हमारे हाथ-ख़र्च के भण्डार से ५०००) रुपये अदालत के ख़ज़ाने में जुरमाने के जमा करा दो। यह सुन कर लोग बहुत हैरान हुए और धर्म-शास्त्रियों ने पूछा तो महाराज ने वह वृत्तान्त कहा। वे बोले कि ऐसा कभी अकस्मात् हो जाता है। उसको जान बूझ कर कहना ठीक नहीं। महाराज ने कहा कि हम उसको जान बूझ कर इसलिए कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि हमारे महल सर्वसाधरण के मकानों से ऊँचे हैं तब हमको फिर बिना ज़रूरत और बिना कहे क्यों अपनी छत पर चढ़ना

चाहिए, जिसमें किसी की कोई नंगी खुली बहू बेटी दीख जावे। जब हम अपने वास्ते न्यायी नहीं होंगे तो औरों का क्या इन्साफ़ करेंगे और अपने बेटों और नौकरों से न्यायी होने की क्या आशा रख सकेंगे।

इन्साफ़ ८

राजा मारवाड़ के परगने नागोर में यह दस्तूर है कि कनवारिया (शहना) जितने सेर नाज चोरी का जाटों के पास से निकलवाता है उतने ही रुपये जाटों से गुनहगारी के लिये जाते हैं और वह नाज कनवारिये को मिलता है। महाराज श्रीबख्तसिंहजी के राज में एक पुष्करना ब्राह्मण कनवरिया होकर खियाले गांव में गया। उसने जाटों की बहुत चोरियां पकड़ीं। जाट उससे तङ्ग आ गये। उन्होंने उसको बहुत सा लालच रुपये-पैसे का दिया और तरह तरह से राज़ी करना चाहा, जिससे वह उनकी चोरियां देखी अनदेखी कर जाया करे। परन्तु उसने नहीं सुना। वह अपने काम में लगा रहा। तब एक दिन जाटों ने पहले तो एक जवान जाटनी को पानी का घड़ा देकर कनवारिये के मकान पर भेजा और फिर आप लाठियां ले लेकर गये और कनवारिये को मारने लगे। वह विचारा दीवार कूद कर भागा। पीछे से वे भी उसके साथ साथ नागोर पहुँचे और महाराज से फ़रियाद की कि इसने हमारी इज़्ज़त ले डाली उस जाटनी को आगे करके कहा कि यह आज इसके घर पानी भरने को गई थी। इसने इससे बलात्कार व्यभिचार किया। महाराज ने जाटनी से पूछा तो उसने भी कह दिया कि हां, सच है। फिर कनवारिये से पूछा तो वह नट गया और कहने लगा कि ये सब झूठ कहते हैं। इसका यह कारण है कि मैं रात दिन खेतों में फिरता रहता हूँ और इनकी चोरियां पकड़ा करता हूँ। इस अदावत से इन्होंने मुझको यह कलङ्क लगाया है। महाराज ने जो उसके पांव देखे तो घुटनों तक कांटों से छिदे हुए थे। फिर पिछले सालों की जमाबन्दियां मँगा कर देखीं तो किसी साल में भी इतनी ज़ियादा गुनहगारी नहीं जमा हुई थी, जितनी उसने कराई थी। इन बातों से महाराज को यक़ीन तो हो गया कि यह नालिश असल में झूठी मालूम पड़ती है। मगर ज़ाहिर में कोई प्रमाण उसके झूठे होने का नहीं था इस लिए, उनके लिए महाराज ने कुछ देर सोच कर ऐसा न्याय किया कि दूध का दूध

और पानी का पानी हो गया। गांव वालों का झूठ साफ़ साबित हो गया। महाराज ने उनको सज़ा दी और कनवारिये को सच्चा करके एक घोड़ाकांवल और एक जोड़ा झाडूले का गांववालों से दिलवाया। उस दिन से तमाम परगने में यह लाग लग गई कि जो कनवारिया गांव में जाता है उसको यह दोनों चीज़ें गांव वाले देते हैं। घोड़ाकांवल एक बड़ा कंबल होता है और झाडूला चमड़े के मोज़े को कहते हैं, जो जुर्राबों की तरह से घुटनों तक चढ़ा लिये जाते हैं।

इन्साफ़ ६

चार किसानों ने सीर में खेती की थी। वहाँ उनका एक कुत्ता भी रहता था। दैवयोग से उसकी एक टाँग टूट गई। किसानों ने आपस में सलाह करके अपने एक हिस्सेदार से कहा कि यह टांग तेरे हिस्से की है। तू ही इसका इलाज कर। तब उसने उस पर तेल की पट्टी बाँध दी। एक दिन कुत्ता अलाव के पास बैठा था; किसी तरह से उसकी पट्टी में आग लग गई। तब वह वहां से भाग कर खलियान में घुस गया और वह आग खलियान में लग गई। तमाम खलियान जल गया। इस पर तीन किसानों ने चौथे से झगड़ा किया कि यह हानि तेरे कौतुक से हुई है। जो तू कुत्ते के पांव में पट्टी न बांधता तो क्यों खलियान जल जाता? हम अपनी अपनी हानि का रुपया तुझसे लेंगे। उसने महाराजा बख़्तसिंजी के पास जाकर पुकार की। महाराज ने उन तीनों किसानों को बुला कर पूछा कि वह कुत्ता तीन पाँव से चलता था या चारों से। वे बोले कि तीन पांव से ही चलता था, चौथा तो निकम्मा हो गया था। तब महाराज ने कहा कि तुम फिर नाहक़ इससे झगड़ते हो, बल्कि इसका नुक़सान भी तुमको देना चाहिए। क्योंकि जो टाँग इसके हिस्से की थी वह तो बेकार थी और कुत्ता खलियान में तुम तीनों के हिस्से की टाँगों से ही गया था।

इन्साफ़ १०

एक नवाब नागोर में आया। महाराजा बख़्तसिंह जी बड़े जलूस से उसको लेने गये। उस धूम-धाम में एक आदमी की अँगूठी गिर पड़ी और

गुम गई। उसने महाराज साहिब से फ़रियाद की। उन्होंने कुछ देर सोच कर शाम को एक सन्दूक़ शहर के दरवाज़े पर रखवाया और तमाम लशकर में यह डौंडी पिटवाई कि जिसने अँगूठी ली है, हमने उसको झुकते और उठाते देख लिया है। अगर आज रात को संदूक़ में नहीं डाल देगा तो तड़के ही उसको सज़ा मिलेगी। जिसने वह अँगूठी उठाई थी। उसने मारे डर के रात को ही संदूक़ में डाल दी। तड़के मालिक को मिल गई।

इन्साफ़ ११

महाराजा सवाई जयसिंहजी ने महाराजा बख़्तसिंहजी के इन्साफ़ की तारीफ़ सुन कर जयपुर से दो हलकारों को परीक्षा के वास्ते भेजा। वे नागोर पहुँच कर तड़के ही एक हलवाई की दुकान पर बैठ गये और जो रुपया पैसा हलवाई के पास आता गया उसको चुपके चुपके एक काग़ज़ पर लिखते रहे। जब रात को हलवाई ने अपना गल्ला सँभाला तब उसकी संख्या उनके काग़ज़ के अनुसार थी। हलवाई ने वह रक़म गिन कर थैली में रक्खी और दुकान बन्द करके घर जाने की तैयारी की, तब उन्होंने उससे कहा कि हमारी धरोहर तो देता जा। उसने कहा कैसी धरोहर? कहा, तड़के तुझको वह थैली नहीं दी थी। हलवाई बोला, वह थैली तो मेरी है। उन्होंने कहा कि बीजक तो हमारे पास मौजूद है और यह कह कर वह थैली छीन ली। वे लड़ते झगड़ते महाराज के पास गये। महाराज ने दोनों का हाल सुन के वह थैली अपने यहाँ रखवा ली और फ़रमाया कि तड़के फ़ैसला कर देंगे। दूसरे दिन बड़ा दरबार हुआ। महाराज ने एक कढ़ाई में गरम पानी करवाया और वह रक़म थैली की उसमें डलवाई। कुछ देर बाद जो घी की चिकनाहट पानी के ऊपर प्रकट हुई तो फ़रमाया कि ये रुपये हलवाई के हैं। जो इनके होते तो इतनी चिकनाहट कहाँ से आती और फिर उनसे कहा। सच कह दो यह क्या बात है। नहीं तो तुमको सज़ा मिलेगी। राजा ने कोड़ेवाले को बुला कर मारने का हुक्म दिया। तब हलकारों ने कहा, हुज़ूर ठहरिए, हम जवाब देते हैं। उन्होंने फ़ौरन महाराजा सवाई जयसिंहजी की चिट्ठी निकाल कर दी और अरज़ की कि इसका मुलाहज़ा कीजिए। उसमें लिखा था कि यह हमारे हलकारे हैं। आपका इन्साफ़ देखने को आते हैं। जो कोई

क़सूर इनसे हो जावे तो माफ़ करना। महाराज ने वह चिट्ठी पढ़ कर उनका क़सूर माफ़ फ़रमाया और इनाम देकर बिदा किया *।

इन्साफ़ १२

नागोर में एक सेठ बहुत बूढ़ा हो गया था। सिवा एक लड़की के उसके और कोई लड़का बाला नहीं था। सेठ ने उसका विवाह कर दिया था तो भी घर में उसका चलन था। जो वह करती थी वही होता था। इस बात से सेठ के भाइयों ने नाराज़ होकर एक दिन उससे कहा कि तू घर की मालिक नहीं है। तुझको इतना दख़ल नहीं देना चाहिए। लड़की ने ख़फ़ा होकर एक वैद्य से कहा कि मेरे बाप के भाई-बंद इस ताक में हैं कि वह मरजावे तो घर के मालिक हो जावें क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है। मुझको हक नहीं पहुँचता। इसलिए वे ज़रूर घर के मालिक हो जावेंगे। अब जो किसी उपाय से मेरे बाप के संतान हो सकती हो तो मैं उसका दूसरा विवाह कर दूँ कि जिससे कोई लड़का पैदा हो जावे और घर का मालिक रहे। वैद्य ने कहा कि अच्छा मैं तेरे बाप की परीक्षा करलूँ; फिर जवाब दूँगा। वैद्य यह कह कर सेठ के पास आने जाने लगा। निदान एक दिन उसने उसके पेशाब में झाग देखकर विचार किया कि वैद्य के ग्रन्थों में लिखा है कि जहाँ तक पुरुष के पेशाब में झाग आवें वहाँ तक उसको ताक़त की दवा फ़ायदा देसकती है। फिर ऐसे ही दो एक इम्तिहान और करके लड़की से कहा कि तू ख़ुशी से अपने बाप का विवाह कर दे, औलाद हो जावेगी। मगर लहसन पका पका कर खिलाने से होगी। लड़की ने तुरन्त हठ कर के बाप को राज़ी किया और उसका विवाह एक लड़की से करा दिया। उससे एक लड़का पैदा हुआ जिसको सेठ बालक ही छोड़कर मर गया तब उसके भाई बंदों ने लड़के को निकाल बाहर किया और आप घर के मालिक हो गये। सेठानी अपने लड़के को लेकर महाराजा बख़तसिंह जी के दरबार में दौड़ी गई। महाराजा

---

* अगर इस ज़माने के चालाक और क़ानूनी हलकार होते तो कह देते कि हजूर, यह चिकनाहट हलवाई के हाथों की उस वक़्त लग गई थी जब उसने हम से थैली लेकर रक़म सँभाली थी।

(लेखक)

ने उन लोगों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा, यह लड़का उस सेठ का नहीं है। इसने एक फ़ितूर खड़ा कर लिया है क्योंकि यह सब जानते हैं कि वह सेठ बहुत ही बूढ़ा हो गया था। महाराज ने उनको बिदा करके सेठानी से कहा, सच कह यह लड़का किसका है। उसने कहा, मेरे ख़ाविंद का है। मैंने अमुक वैद्य के कहने से उसको लहसन पका पका कर खिलाया था। उसी दवा के प्रताप से यह लड़का पैदा हुआ है। महाराज ने उस लड़के को दौड़ाकर जो उसका पसीना सूँघा तो उससे लहसन की बास आती थी जो उसके भाई बंदों के पसीने में लेशमात्र भी नहीं थी। फिर सेठ के बहीखाते को मँगा कर देखा तो और तो किसी बरस में लहसन की ख़रीददारी नहीं लिखी थी परन्तु उस लड़के के पैदा होने से पहले के वर्षों में बहुत सी लिखी थी। महाराज ने इस तहक़ीक़ात के पीछे उस लड़के को उसके बाप का घर सौंप दिया।

इन्साफ़ १३

एक आदमी की थैली नागोर में गींदांणी तालाब के किनारे पर से जाती रही। उसने महाराजा श्रीबख़्तसिंहजी के पास जाकर पुकारा कि मैं अपनी थैली कीर्तिस्थंभ के पास रखकर नहाने को गींदांणी में उतरा था। इतने में कोई उठाकर लेगया। महाराजा ने फ़रमाया कि परसों हम जलूसी सवारी से वहां आवेंगे और तुम्हारी थैली का पता लगा देंगे। यह ख़बर तमाम शहर में फैल गई। तीसरे दिन तालाब पर मेला लग गया। महाराजा भी बड़ी धूम-धाम से सवार होकर आये। चोबदारों को हुक्म दिया कि जाकर इस कीर्तिस्थंभ से कह दो कि चोर को बतावे नहीं तो सज़ा दी जावेगी। चोबदारों ने पीछे आकर अरज़ की कि हमने तो हुक्म पहुँचा दिया मगर उसने कुछ तामील न की। तब महाराजा ख़ुद हाथी से उतर कर उस पत्थर के पास गये और कहने लगे कि चोर को बता दे और कुछ देर ठहरकर कोतवाल से फ़रमाया कि यह हरामज़ादा यों नहीं बतावेगा; इसको कोड़े मारना चाहिए। कोतवाल ने तुरन्त कई कोड़े मारे और महाराजा के हुक्म से पीछे हट आया। महाराजा फिर वहां गये उससे कान लगाकर कहा कि अब यह चोर का नाम बताने कहता है। घड़ी भर में बता देगा; अब इसको

मत मारो। जब एक घड़ी हो गई तब महाराजा ने फिर कान लगाया और कहा यह यों कहता है कि सब लोग देखते रहें अभी एक चिड़िया आवेगी और जो चोर होगा उसके सिर पर बैठ जावेगी। चोर भी उसी जगह मौजूद था। उसने जो यह सुना तो बहुत घबराया और फ़ौरन ढाल ऊँची करली जिससे वह चिड़िया उसके सिर पर बैठने न पावे। महाराज ने उसी दम उसको पकड़ बुलाया और खड़े खड़े उससे थैली मँगवाकर उन सब लोगों के सामने मुदई को दिला दी।

इन्साफ़ १४

एक स्त्री मिट्टी लेने को खान में गई थी। जब बाहर निकली तो उसके पीछे एक पुरुष भी उसी खान में से निकला। स्त्री का पति भी दैवयोग से वहीं पाखाने फिरने गया था। उसने यह देख लिया और स्त्री को घर से निकाल दिया। उसने महाराजा बख़तसिंहजी से पुकार की। महाराजा ने कहा, जब पति ने तुझको एक पर-पुरुष के साथ खान से निकलते देख लिया है तब तुझे यह सिद्ध करना चाहिए कि तुझसे और उससे कोई बुरा सम्बन्ध नहीं था। स्त्री ने कहा, कोई साक्षी तो है नहीं। लोहे का गोला तपा कर मेरे हाथों पर धरा दीजिए; परमेश्वर ने चाहा तो मेरा हाथ नहीं जलेगा। महाराज ने गोला तैयार करवाया। स्त्री ने अपने सुसर का नाम लेकर कहा कि जो मैंने अपना धर्म बिगाड़ा हो तो मेरा हाथ जल जावे। यह कह कर उसने गोला उठा लिया। परन्तु उसका हाथ जल गया। उसको इससे अत्यन्त आश्चर्य्य और दुख हुआ। सबने उस पर धिक्कार की बौछार कर दी तब तो वह लज्जित होकर चली गई। मगर फिर महाराज के पास आ कर कहने लगी कि मैं बिलकुल सच्ची हूँ। पर एक भूल मुझसे हो गई। जो अपने पति को सुसर का बेटा कह कर गोला उठाया। यदि सास का बेटा कह कर उठाती तो मेरा हाथ नहीं जलता। महाराज ने कहा, बहुत अच्छा, फिर सही। अब जो गोला दहक कर लाल हुआ तब उसने कहा कि जो मैंने अपनी सास के बेटे के सिवा और किसी का मुँह देखा हो तो मेरा हाथ जल जावे। सो उसका हाथ बिलकुल नहीं जला। वह देर तक गोले को अपने हाथ में रक्खे रही। जब सबने कहा कि डाल दे तो उसने डाल दिया। उस समय गोले से ज़मीन जल गई। सब लोगों ने

कहा कि यह बेचारी सच्ची थी परन्तु पहले अपने पति के जात-कर्म में दोष होने से झूठी हो गई थी। महाराज ने उसे फिर उसके पति को सौंप दी।

इन्साफ़ १५

एक बेर नागौर के महेसरी बनियों ने घोसियों से कई मन दूध मोल लिया था। घोसियों ने पानी मिला कर दिया। इस पर उन दोनों में झगड़ा होकर महाराज तक पहुँचा। घोसी कहते थे कि हमने पानी नहीं मिलाया है। महाराज ने उनसे मुचलका लिखा कर कहा कि जो दूध में पानी मिलाया होगा तो हम अलग कर देंगे। इस इन्साफ़ के देखने को सब शहर के आदमी आये कि देखें महाराज कैसे दूध और पानी अलग अलग करते हैं। महाराज ने ज्वार के बहुत से सरकंडे छिलवा कर उनके टुकड़े दूध में डलवा दिये। जब वे ख़ूब फूल गये और उनको निकलवा कर एक बर्तन में निचुड़वाया तो साफ़ पानी निकला। तब फिर दूसरे सूखे टुकड़े दूध में डलवाये और इस तरकीब से जितना पानी दूध में मिलाया गया था सरकंडों के द्वारा निकाल लिया। जब सरकंडों से दूध निकलने लगा तब इस जाँच को बंद करके दूध और पानी को तुलवाया तो दोनों का तोल मिल गया। तब घोसियों के ऊपर जुरमाना किया और जितना पानी दूध में से निकला था उतना ही दूध उनसे और बनियों को दिला दिया। कहते हैं कि इस इन्साफ़ से ही "दूध का दूध और पानी का पानी" की कहावत चली है।

इन्साफ़ १६

एक चाँपावत राठौड़ तीज के त्योहार पर अपनी सुसराल को जैसलमेर की तरफ़ जाता था। रास्ते में एक जगह शेर लगता था। गाँववालों ने उससे कहा कि वह बहुत तड़के न जावे, शेर का डर है। परन्तु राठौड़ न माना और गजरदम चल दिया। शेर तो लगता ही था, देखते ही सामने आया। राठौड़ ने उसको मार डाला और अपना रास्ता लिया। उसके पीछे एक और राजपूत उस रास्ते से निकला। उसने जो शेर को मरा हुआ देखा तो दो एक तलवार और उसके मार दीं और उसके कान काट कर महाराज अजीतसिंहजी के पास भेज दिये क्योंकि यह घटना नागौर के परगने में हुई थी। महाराज ने प्रसन्न हो कर उसको नौकर रख लिया।

कुछ दिनों पीछे वही राठौड़ लौट कर उसी गाँव में आया तो उसने सुना कि एक राजपूत ने उस शेर को मार डाला और उसके इनाम में वह नौकर भी हो गया है। उसको इस बात का बड़ा अचम्भा हुआ। वह कहने लगा, शेर को तो मैंने मारा था। यह बीच में ही कौन इनाम लेने को खड़ा हो गया। फिर वह भी महाराज श्रीबख़तसिंहजी के पास गया और बोला कि वह शेर तो मैंने मारा था। जिसको आपने नौकर रक्खा है वह बिलकुल झूठा और कपटी है। महाराज साहब ने दोनों को परवाने लिख दिये और फ़रमाया कि तुम गाँव झँवर में जाकर इन्साफ़ करा लाओ। वहाँ जाट इन्साफ़ करते थे। उन्होंने दोनों को ही अलग अलग जाटों के मकानों में ठहरा दिया और कहा, कुछ दिन रहो, हम तुम्हारा इन्साफ़ कर देंगे। वे जाट रात को हमेशा उनसे इधर उधर की बातें किया करते थे। निदान एक दिन उन्होंने सलाह करके अलग अलग अपने मकान पर दोनों से कहा कि मुझको एक दफ़े बावले कुत्ते ने काटा था। उसकी हड़क अब तक कभी कभी उठ जाती है तब मैं बिलकुल बावले कुत्ते के समान हो जाता हूँ। मैं अन्य लोगों को काटने दौड़ता हूँ। आपको पहले से इस वास्ते कहे देता हूँ कि जो कभी आप से बातें करते करते हड़क उठ आवे तो आप सावधान रहें। कुछ दिनों का भुलावा देकर एक दिन उन्होंने बातें करते करते अपनी हालत बावले कुत्तों की सी बना ली और मुँह में झाग लगा कर काटने को दौड़े। राजपूत तो डरकर नंगे पाँव भाग गया और राठौड़ ने पहले तो अपने जाट को समझाया फिर धमकाया और अन्त में गरदन पकड़ कर उसको उसकी पगड़ी से खाट में बाँध दिया और उसके घरवालों को बुला कर कहा कि इसकी यह गति हो गई है। जब तक इसको सुध न आवे तुम इसके पास बैठे रहो। जाट असल में बावले तो थे नहीं। यह बहाना उन्होंने उनकी मज़बूती और बहादुरी देखने के वास्ते किया था। इस परीक्षा के कुछ समय पीछे वे अपनी असली हालत में आ गये और तड़के ही उन्होंने महाराजा को लिख भेजा कि शेर तो इस राठौड़ ने मारा है। दूसरे में इतना पराक्रम नहीं है जो ऐसा बड़ा काम कर सके और प्रमाण के वास्ते अपनी परीक्षा का पूरा ब्यौरा लिख दिया। महाराज ने वह नौकरी उस राठौड़ के नाम कर दी और उसको अपनी अरदली में रख लिया।

इन्साफ़ १७

एक स्त्री अपने बाप के घर गई थी। वहाँ उसके लड़का हुआ। उसी रात उसकी भौजाई के भी लड़की हुई, जिसको दाई ने लड़के से बदल लिया। इस पर दोनों में झगड़ा खड़ा हो कर महाराजा वख़तसिंहजी तक पहुँचा। महाराज ने सब अमीरों को बुला कर दरबार किया। दो गाय, दो भैंस, दो बकरी और दो औरतें भी बुलाईं। जिनमें एक बच्चे की और दूसरी बच्ची की माँ थी। सबका दूध लेकर तुलवाया तो बच्चे की माँ का दूध बच्ची की माँ के दूध से भारी निकला। फिर उन दोनों नँनद-भावज का दूध भी तुलवाया तो ननँद का दूध भारी हुआ और भावज का हलका उतरा। इस जाँच-परताल के पीछे महाराज ने लड़के की माँ को लड़का और लड़की की माँ को लड़की दिलवा दी।

इन्साफ़ १८

महाराज श्रीविजयसिंहजी के पास नाथद्वारे से हर रोज़ प्रसाद आया करता था। एक दिन आने का समय टल गया और प्रसाद नहीं पहुँचा। महाराज का यह नियम था कि प्रसाद बिना भोजन नहीं करते थे। उस दिन शाम हो गई और प्रसाद की ख़बर लाने के लिए आदमी दौड़ाये गये। नाथद्वारा जोधपुर से ४०, ५० कोस है। आदमी आते आते आवे और यहाँ महाराज का भूख के मारे बुरा हाल था। इसके सिवा यह भी चिन्ता थी कि कहीं कोई आपत्ति नाथद्वारे पर न आ गई हो। महाराजा ने इस धाम की रखवाली महाराणा अड़सीजी से अपने ज़िम्मे ले रक्खी थी इसलिए सब अफ़सरों और सरदारों को बुला कर फ़ौज भेजने की सलाह की जाती थी कि इतने में वही हरकारा कि जिसकी बारी उस दिन प्रसाद लाने की थी दूसरा प्रसाद लेकर आया और अर्ज़ किया कि मामूली प्रसाद तो पहाड़ में मेरों* ने मुझ से छीन लिया और झूठा कर दिया। तब उसी दम मैं उलटे पाँव पीछे नाथद्वारे जाकर यह दूसरा प्रसाद लाया हूँ क्योंकि मैं जानता था कि श्रीहज़ूर बिना प्रसाद के भोजन नहीं करेंगे। महाराज ने यह

---

* मेर एक पहाड़ी जाति का नाम है जो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर पहाड़ों में रहती है।

सुन कर फ़रमाया कि जब तक उस मेर का सिर नहीं आ जावेगा हम भोजन नहीं करेंगे। इस पर चण्डावल के ठाकुर ने प्रार्थना की कि जो आप को इन्साफ़ करना है और असली अपराधी का सिर मँगाना है तब तो अभी जाने दीजिए और जब तक वह अपराधी पैदा न हो सब्र कीजिए नहीं तो मेर बहुत हैं किसी न किसी का सिर हम पहर छः घड़ी में काट लावेंगे। आपको भूखा नहीं रक्खेंगे। महाराज ने फ़रमाया; यह तुमने बहुत अच्छा कहा हमें भी अपनी बात में बट्टा लगाना मंज़ूर है। परन्तु किसी बे क़सूर का ख़ून करके रोटी खाना मंज़ूर नहीं। परन्तु तुम यह प्रतिज्ञा कर लो कि अपराधी को ढूँढ़ लायेंगे। ठाकुर ने इस बात का वचन दे दिया और पता लगा कर पचीस दिन में उसी मेर का सिर महाराज के पास ला रक्खा और उनको इस बात का सबूत पहुँचा दिया कि यह वही मेर था जिसने प्रसाद छीना था।

इन्साफ़ १६

किशनगढ़ के एक सेठ ने बुढ़ापे में विवाह किया था। जब वह मरने लगा तब सेठानी ने अपनी जातिवालों को बुलाकर कहा कि मुझे दो एक महीने की आशा है; तुम अभी इस बात की जाँच करलो जिससे फिर कोई दोष न लगा सके। उन्होंने दाइयों को बुलाकर निश्चय कर लिया। जब उसके लड़का हुआ तब सेठ के कई भाई बंदों ने दो एक बरस पीछे परदेश से आकर उस लड़के को घर से निकालना चाहा तब उसकी माँ ने राज में पुकार की। उस समय महाराजा प्रतापसिंह जी राज करते थे। उन्होंने उन लोगों को बुलाकर जवाब पूछा। वे बोले कि यह लड़का सेठ का नहीं है क्योंकि वह रोगी था। महाराजा ने सेठानी से पूछा तो उसने सब पंचों की गवाही दिला दी। परन्तु उन्होंने नहीं माना और कहा कि ये तो इसकी सी ही कहते हैं। तब महाराज बोले, तुम ठहरो; मैं अभी इन्साफ़ करता हूँ और उसी समय १५—२० लड़के जो उम्र में उस लड़के के बराबर थे शहर से बुलाकर बराबर बराबर बैठा दिये और एक हाथी उनकी तर्फ़ छोड़ा। उसके डर से और लड़के तो तुरन्त उठकर भाग गये और यह लड़का उठा तो कुछ देर में उठा और फिर घुटनों पर हाथ रखकर उठा। यह देख कर महाराज ने मुद्दइयों

से कहा कि यह लड़का वास्तव में उसी सेठ का है जो ऐसा न होता तो वह भी .फुरती से उठ भागता और उठते समय घुटनों पर हाथ नहीं रखता।

इन्साफ़ २०

किशनगढ़ के महाराजा प्रतापसिंह जी का दीवान पक्की हवेली बनवाता था। उसके एक कोने में तेली की भी कुछ ज़मीन आती थी जिसमें उसकी घानी पिरा करती थी। दीवान तेली से कहता था कि तू इस ज़मीन की क़ीमत ले ले और घानी दूसरी जगह लगा दे तो मेरी हवेली चौरस हो जावे। परन्तु तेली राज़ी नहीं होता था और कहता था कि मेरे मकान में घानी के वास्ते और जगह नहीं है इस ज़मीन के लिए दीवान की हवेली बहुत दिनों तक अधूरी पड़ी रही। दीवान दिल में तो बहुत ऐंठता था, परन्तु महाराज के डर से तेली का कुछ नहीं कर सकता था। महाराज इस बात को जानते थे और दीवान से पूछा करते थे कि क्यों तुम्हारा मकान नहीं बना ? वह अर्ज़ करता कि महाराज तेली नहीं मानता। उसकी हाथ भर ज़मीन मुझे चाहिए परन्तु वह ऐसा चिकना घड़ा है कि मुँह माँगे रुपये देता हूँ तो भी नहीं देता। महाराजा यह सुन कर बेपरवाई से कह देते थे। हाँ, उसकी .खुशी है। निदान बहुत दिनों पीछे महाराज ने एक बात सोच कर दीवान से कहा कि जो तेली राज़ी हो जावे तो तुम इस तरह से मकान बना लो कि जितनी तेली की ज़मीन चाहते हो उसको ख़ाली छोड़ कर ऊपर से पाट दो और उस पर दीवाल बनाते चले जाओ। इसमें तुम्हारा मकान भी बन जावेगा और तेली की घानी भी नहीं रुकेगी। जब दीवान ने वह बात मान ली तो महाराज ने तेली को बुलाया। वह भी राज़ी हो गया। जिसने इस इन्साफ़ को सुना, महाराज की तारीफ़ की।

इन्साफ़ २१

दिल्ली में एक स्त्री नहर पर न्हा रही थी। उस समय एक मुसलमान ने आँख बचा कर उसके कपड़ों की गठरी में मांस और रोटी रख दी। जब वह न्हा धो कर अपने घर को चली तब मुसलमान भी उसके पीछे हो लिया। उसने पूछा कि तू मेरे पीछे क्यों आता है। वह बोला कि तुझे अपने घर ले चलूँगा। वह बहुत घबराई और यहाँ तक तकरार बढ़ी कि दोनों को

साहिब ज़िले के पास जाना पड़ा। साहब ने मुसलमान से पूछा कि तुझे इससे क्या मतलब है ? वह बोला कि बहुत वर्षों से इसकी और मेरी आशनाई है। इसने आज मुझको वचन दिया था कि मैं तेरे घर चलूँगी सो अब चलती नहीं। साहिब ने कहा कि कोई गवाह भी है। उसने कहा, गवाह तो कोई नहीं है परन्तु मैंने और इसने आज तालाव पर मांस और रोटी खाई थीं और उसमें से जो बाक़ी बची वह इसने अपनी गठरी में रख ली है। आप देख लीजिए। साहब ने जो वह गठरी खुलवाई तो सच मुच मांस और रोटी निकली। स्त्री से पूछा। यह क्या बात है ? उसने कहा कि मैं इसको हर्गिज़ नहीं जानती हूँ कि कौन है। न मैंने इसके साथ मांस रोटी खाई है। यह जात का मुसलमान है। मैं हिन्दू हूँ। फिर कैसे इसके साथ मांस और रोटी खा लेती ? साहब ने पूछा कि तेरी गठरी में मांस और रोटी क्यों कर निकली ? वह बोली कि मैं नहीं जानती कि क्यों कर निकली। साहब ने ख़फ़ा होकर कहा कि तेरी बातों से दाल में काला मालूम होता है। तू सच सच कह दे, नहीं तो सज़ा पावेगी। वह बहुत उज्र करती थी परन्तु साहब एक नहीं मानता था और मुसलमान को सच्चा जानता था। उस समय दैवयोग से किशनगढ़ के महाराज कल्याण-सिंहजी जो दिल्ली में रहा करते थे साहिब से मिलने को आ गये। उन्होंने यह झगड़ा सुन कर साहब से कहा कि यद्यपि हमको आप के इजलास में बोलने का अधिकार नहीं है परन्तु एक ऐसी बात हमारे ध्यान में आई है जिससे पूरा पूरा इन्साफ़ हो जावे। साहिब बोला, अच्छा, फ़रमाइए। महाराज ने कहा, मुसलमान कहता है कि इसने मेरे साथ मांस खाया है और वह नटती है। आप डाक्टर को बुला कर दोनों को क़ै की दवा दिलवाइए। जैसा कुछ होगा ज़ाहिर हो जावेगा। साहिब ने यह राय पसंद की। फ़ौरन दोनों को क़ै की दवा दी। मुसलमान की क़ै में गोश्त रोटी निकली और औरत की क़ै में उसका कुछ अंश भी न था। तब लोगों को इस बात का विश्वास हुआ और साहब ने मुसलमान को दण्ड दिया।

इन्साफ़ २२

किशनगढ़ के राज्य में दो ब्राह्मण भाई थे। बड़े भाई के सन्तान नहीं थी। छोटे भाई के दो लड़के थे। उनमें से एक लड़का बड़े भाई ने गोद ले लिया

था। कुछ दिनों पीछे छोटे भाई का लड़का मर गया तो उसने बड़े भाई से कहा कि अब मेरा बेटा मुझे लौटा दे। क्योंकि जब मैंने यह तुझको दिया था तब मेरे पास एक बेटा और था। बड़े भाई ने कहा वह मर गया तो मैं क्या करूँ। तेरे भाग में नहीं था और इसको तो तू मुझे पहले ही दे चुका है। लौटाने की बात भी नहीं ठहरी थी। अब मैं कभी नहीं दूँगा। इस बात पर उनमें बड़ा झगड़ा मचा और राज-दरबार तक पहुँचा, परन्तु राजवालों से उनका न्याय नहीं चुका, तब महाराजा महोकमसिंह के पास गये। उन्होंने दोनों का वाद प्रतिवाद सुनकर कहा कि इन दोनों भाइयों में यह एक ही लड़का है जिसके वास्ते दोनों अपना अपना नाम रखने के लिए झगड़ते हैं। यदि यह लड़का एक भाई को दिलाया जावे तो दूसरा अपूत रहता है। इसलिए ऐसा उपाय होना चाहिए जो दोनों के ही हित का हो और वह यह है कि दोनों भाई झगड़ा छोड़ कर एक एक विवाह इस लड़के का करदें। जिसकी ब्याही हुई स्त्री से जो संतान हो वह उसकी रहे। यह इन्साफ़ सुन कर वे दोनों भाई राज़ी हो गये और उन्होंने झगड़ा छोड़ कर जैसा महाराज ने कहा था वैसा ही किया।

इन्साफ़ २३

एक दिन पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंह की सवारी बड़े ठाट से शहर में निकल रही थी। कहीं एक ब्राह्मण का लड़का कोठे पर चढ़ा हुआ कबूतरों पर पत्थर मार रहा था। उनमें से एक पत्थर महाराज के सिर में आ लगा। इस पत्थर का लगना गज़ब हो गया। चारों तरफ़ से लोग उस लड़के के पकड़ने को दौड़ पड़े। सवारी का प्रबन्ध बिगड़ गया। महाराज भी अपने महल में लौट आये। सिक्खों को जादू टोटके का बहुत वहम रहता था, इस वास्ते बड़ी गहरी गहरी कुरेदें होने लगीं। बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अभियोग के विचार के लिए धर्मशास्त्री बुलाये गये। महाराज भी न्याय देखने को बैठे। पण्डितों ने यह व्यवस्था लिखी कि राजा के साथ सवारी में जब कि सब लोग उधर ही देख रहे हों ऐसी अवज्ञा करने वाला प्राण दण्ड का भागी हो सकता है परन्तु ब्राह्मण अवध्य हैं इस वास्ते उस लड़के को देश निकाला दे देना चाहिए। क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा है कि जो किसी ब्राह्मण से बड़ा अपराध हो जावे तो उसका सिर मूँड़ कर देश से निकाल

देना चाहिए और जो कुछ धन माल उसके पास हो वह छीन लेना चाहिए। महाराजा रणजीतसिंह, जो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यह पत्थर इस लड़के ने जान बूझ कर नहीं मारा है और जो दण्ड इसके वास्ते तजवीज़ किया जाता है बहुत कड़ा वरन् अनुचित है इसलिए बात को हँसी में डाल कर कहने लगे कि आहा! हा!! हा!!! शास्त्रियों ने क्या अच्छा श्लोक पढ़ा है कि जो ब्राह्मण अपराध करे तो उसकी हजामत कराना चाहिए। देखो हजामत आदमी के वास्ते कैसी उपयोगी है। और फिर उसको धन देना चाहिए। संस्कृत में "द्रविणादानम्" का अर्थ, जो धन छीन लेने के हैं, धन देने का भी हो सकता है। महाराज ने पिछले अर्थ को लिया क्योंकि वही उनकी मंशा के अनुसार था। फिर देश निकाले पर अटक कर बोले कि यह हमारी समझ में नहीं आता कि इसको ऊपर के आशय से क्या सम्बन्ध है। और फ़रमाया कि हम तो दो चार देशों के ही स्वामी हैं परन्तु मनु महाराज जिन्होंने धर्मशास्त्र बनाया है सब पृथ्वी के प्रभु थे। फिर वे देश निकाले की क्या सज़ा देते होंगे। पण्डितों से कहा कि तुम इसका अर्थ मुझको समझा दो। पण्डितों ने प्रार्थना की कि देश का अर्थ जगह का है। किसी को उसके रहने की जगह से दूसरी जगह भेज देना भी देश-निकाला ही है। महाराज ने कहा, हाँ, यह तुमने ठीक कहा। बस अब हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। उस ब्राह्मण के लड़के को कुछ समय के लिए अमृतसर में भेज दो और वहाँ उसके खाने पीने का बन्दोबस्त कर दो। इस अवधि के पीछे फिर वह यहाँ आ सकता है। यह इन्साफ़ सब लोगों के मन भा गया। इसमें धर्मशास्त्रियों की बात भी रह गई, सिक्खों के विचार के विरुद्ध भी कोई बात नहीं होने पाई और वह लड़का भी अनुचित दण्ड पाने से बच गया।

इन्साफ़ २४

एक बार राज जोधपुर की फ़ौजदारी अदालत में एक चोर किसी परगने से पकड़ आया। पण्डित दीनानाथजी ने, जो उन दिनों मेजिस्ट्रेट थे, कई दिन तक उसको हवालात में रक्खा। एक दिन फिर बुला कर जवाब पूछा तो वह चोरी करने से साफ़ नट गया। पण्डितजी ने धमकी के वास्ते

सरिश्तेदार से कहा कि इस मिसल पर यह हुक्म लिखो कि जो यह सात दिन में चोरी का माल न मँगा दे तो आठवें दिन मारा जावे। जब सरिश्तेदार ने क़लम उठाया और एक परचे पर लिखने लगा तो वह चोर घबराया और बोला कि अभी यह हुक्म न लिखिए। मैं एक बार इस चोरी को और याद कर लूँ। निदान उसने मुद्दई का राज़ीनामा अदालत में दिला दिया।

इन्साफ़ २५

सुलतान ग़यासुद्दीन बलबन के समय में मलिक नईक़ बदाऊँ का सूबेदार और चार हज़ार सवारों का अफ़सर था। उसने नशे में एक फ़राश को मार डाला। थोड़े दिन पीछे बादशाह वहाँ गया तो फ़राश की बीबी उसके पास आकर रोने लगी। बादशाह ने मलिक नईक़ को कोड़ों से इतना पिटवाया कि वह मर गया। जिस ख़बरनवीस ने इस घटना की सूचना नहीं दी थी उसको भी सूली पर चढ़ा दिया।

इन्साफ़ २६

अवध के सूबेदार हैबतख़ाँ ने शराब के नशे में एक ग़रीब आदमी को मार डाला। उसकी स्त्री सुलतान ग़यासुद्दीन के पास पुकारने को गई। सुलतान ने हैबतख़ाँ को ५०० दुर्रे मार कर उसे सौंप दिया और कहा कि यह हत्यारा आज तक हमारा ग़ुलाम था, अब तेरा ग़ुलाम है। वह बड़ी कोशिश और सिफ़ारिश के साथ उस औरत की ग़ुलामी से छूटा और फिर शर्म के मारे उम्र भर घर से बाहर नहीं निकला।

इन्साफ़ २७

सुलतान फ़ीरोज़शाह तुग़लक का बड़ा बेटा कतलकख़ाँ एक दिन बचपन में मकतब (पाठशाला) से छुट्टी लेकर महल को जारहा था। रास्ते में एक बुढ़िया ने घोड़े की बाग पकड़ ली और यह फ़रियाद की कि मेरा पति और बेटा दोनों कुछ माल लेकर लशकर में बेचने को लाते थे। रास्ते में चोरों ने उनको लूट लिया। जब वह लशकर में फ़रियाद करने को आये तो लशकर वालों ने जासूस समझकर लशकर के क़ैदख़ाने में डाल दिया। शाहज़ादे

को दया आगई। उसने धूप में खड़े खड़े उस बात की जाँच की। गवाहों की गवाही सुनी। फिर बुढ़िया को बाप के पास लेजाकर इन्साफ़ कराया और सुबह का खाना शाम को खाया।

इन्साफ़ २८

सुलतान सिकन्दर लोदी के राज से किसी देश के ऊपर सेना चढ़कर जाती थी। दो भाई उसके साथ ग्वालियर से भी हो गये जिनको पहली ही लूट में कुछ रुपया, कई रङ्गीन कपड़े और दो बढ़िया लाल हाथ आगये! एक भाई बोला कि जो हमारा मनोरथ था वह तो सिद्ध हो गया। अब किस वास्ते अधिक परिश्रम करें। घर क्यों नहीं चलें। दूसरे ने कहा कि जब पहली ही बेर इतनी अच्छी लूट मिली है तब शायद दूसरी वार इससे भी बढ़ कर मिले परन्तु उसने कहा कि मैं तो अब कहीं नहीं जाता। तब दोनों भाइयों ने लूट का माल बाँट लिया। बड़े भाई ने अपना बंट भी छोटे को सौंप दिया और कहा कि घर पहुँच कर अपनी भावज को दे देना। छोटे भाई ने और तो सब माल उसको दे दिया परन्तु लाल रख लिया। दो साल पीछे जब बड़ा भाई अपने घर आया और लूट के मालों में लाल नहीं देखा तो भाई से पूछा कि वह लाल कहाँ है? उसने कहा मैंने तो तेरी स्त्री को दे दिया था! बड़े भाई ने कहा, वह तो नटती है। छोटे भाई ने कहा झूठी है; ज़रा धमकाओगे तो बता देगी। तब बड़ा भाई अपनी स्त्री को डराने और धमकाने लगा। उसने कहा कि आज की रात तो मुझे छोड़ दो; कल बता दूँगी। दूसरे दिन तड़के ही वह मियाँ भूरा के घर गई जो एक बड़ा अमीर और बादशाह का मीर अदल (न्यायाध्यक्ष) था और अपना सब अहवाल कहा। मियाँ भूरा ने उसके ख़ाविंद और देवर को बुलाकर जवाब लिया तो देवर ने कहा कि मैंने लाल भी इसको दे दिया है। मियाँ भूरा ने पूछा कि अच्छा इस बात के कितने गवाह हैं। उसने कहा दो ब्राह्मण हैं फिर वह भंगेरख़ाने में जाकर दो जुआरी ब्राह्मणों को कुछ लालच दे और सिखा पढ़ा कर ले आया। जब उन्होंने अदालत में गवाही देदी तो मियाँ भूरा ने स्त्री के पति से कहा कि अब तुम चाहो जिस तरह लाल अपनी स्त्री से ले लो। स्त्री वहाँ से निकल कर बादशाह की ड्योढ़ी पर गई और रोने लगी। बादशाह ने उसको बुलाकर हाल पूछा। उसने जो हाल था वह कह दिया।

बादशाह ने कहा, तू मियाँ भूरा के पास नहीं गई। उसने कहा गई थी पर वहाँ तो कुछ सुनाई नहीं हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मुक़दमें में जितने आदमी हैं उन सबको लाओ। जब वे सब आये तब पहले स्त्री के पति और देवर को अलग अलग बुलाकर कुछ मोम दिया और कहा कि उस लाल का नमूना बनाओ। उन्होंने जैसा था वैसा बनाया। और एक एक गवाह को भी बुलाकर वही हुक्म दिया। उन्होंने दो झूठे नमूने बनाये। बादशाह ने इन सब नमूनों को अपने पास रख लिया और फिर कुछ मोम स्त्री को भी देकर कहा कि वह लाल कैसा था; तू भी उसका नमूना बना दे। उसने कहा कि मैंने जो वस्तु देखी ही नहीं है उसका क्या नमूना बनाऊँ। बादशाह ने नमूने के लिए बहुत सा कहा परन्तु उसने तो एक न सुना तब बादशाह ने मियाँ भूरा को सुना कर गवाहों से कहा कि अगर सच कह दोगे तो जान बच जावेगी नहीं तो मारे जावोगे। उन्होंने लाचार होकर सच सब हाल अरज़ कर दिया। फिर जो इसी तरह औरत के देवर को बुलाकर धमकाया तो उसे भी सच कहना पड़ा। जिससे स्त्री उस कलंक से छूटी और बादशाह की अत्यंत बुद्धिमानी प्रकट हुई।

इन्साफ़ २६

एक आदमी ने जङ्गल में जाकर एक पेड़ के नीचे कुछ अशर्फ़ियाँ गाड़ी थीं और कभी कभी जाकर उनको देख भी आता था परन्तु अन्तिम बार जो गया तो मालूम हुआ कि कोई चोर निकाल ले गया। तब उसने तुरन्त अकबर बादशाह के पास जाकर सब हाल अर्ज़ किया। बादशाह ने कहा तू यह बात किसी से मत कहना; मैं तेरी अशर्फ़ियाँ मँगा दूँगा। बादशाह ने उस पेड़ का नाम पता पूछ कर कई अच्छे हकीमों को हुक्म दिया कि जाकर फलाने पेड़ को देखो और उसके फल, फूल, पत्ते, छाल और जड़ के गुण अरज़ करो। उन्होंने देख कर प्रत्येक के अलग अलग गुण कहे परन्तु बादशाह को तो जड़ से प्रयोजन था और उसकी धूली जलन्धर के रोगी की औषध थी। इसलिए बादशाह ने सब शहर के हकीमों को बुला कर फ़रमाया कि इस महीने में तुमने जिन जिन जलन्धर वालों का इलाज किया हो उनको हाज़िर करो। जब वे हाज़िर हुए तब बादशाह हर एक से उसके इलाज करने वाले के सामने पूछने लगे कि तू ने क्या दवा ली थी और तुझको किस दवा से

आराम हुआ। हर-एक ने अपनी अपनी दवा बताई। उनमें एक बीमार ऐसा भी निकला कि ज़िसके इलाज में उस पेड़ की जड़ काम आई थी। बादशाह ने उससे पूछा कि क्या तू उस जड़ को लाया था। उसने अरज़ किया कि हाँ हज़रत लाया तो था। बादशाह ने फ़रमाया कि वहाँ जो अशर्फ़ियाँ गड़ी थीं उनको भी तू ही लाया होगा। यह कह कर उसको कुछ धमकाया और डर बताया तो उसने वे अशर्फ़ियाँ लेनी मंज़ूर कर लीं और मुदई को लाकर देदीं।

इन्साफ़ ३०

शेख़ अबदुलनबी अकबर बादशाह का सदरउलसदूर अर्थात् धर्माध्यक्ष था। बादशाह उसका यहाँ तक अदब करते थे कि जूता सीधा करके आगे रख देते थे। परन्तु शेख़ को अपने मत का अत्यन्त घमण्ड था। यही अन्त में उसके पदच्युत होने का कारण हुआ। क्योंकि बादशाह का मत उससे नहीं मिलता था। उनकी प्रकृति में दया, न्याय और सबके साथ मेल-मिलाप रखने का चाव था। एक दिन मथुरा के काज़ी अबदुलरहीम ने शेख़ के पास जाकर कहा कि मैंने मसजिद बनाने के लिए कुछ मसाला इकट्ठा किया था। उसको एक धनवान ब्राह्मण उठा ले गया। जो मैंने मना किया तो उलटा पैग़म्बर और मुसलमानों को बुरा भला कहने लगा। शेख़ ने उस ब्राह्मण को बुलाया तो वह नहीं आया। तब बादशाह ने राजा बीरबल और शेख़ अबदुलफ़ज़ल को भेजा। ये जाकर उसको ले आये। शेख़ ने जो कुछ लोगों से सुना था अरज़ करके कहा कि बुरा भला इसने बेशक कहा है। इस पर किसी काज़ी ने कहा, क़तल करना चाहिए और किसी ने कहा, दण्ड लेना चाहिए। यह बहस बहुत बढ़ गई। शेख़ अबदुलनबी बादशाह से उसके क़तल की आज्ञा माँगता था, परन्तु बादशाह साफ़ हुक्म नहीं देते थे और मुग्घम रूप से गोलमोल कह देते थे कि शरीअत के अनुसार सज़ा देना तुम्हारे अधीन है। हमसे क्या पूछते हो? वह ब्राह्मण इस झमेले से बहुत समय तक क़ैद रहा। बेगमें सब उसकी रिहाई के लिए सिफ़ारिश करती थीं। बादशाह को शेख़ की भी ख़ातिर मंज़ूर थी। जब शेख़ ने हद से ज़ियादा ज़िद की तो बादशाह ने फ़रमाया कि बात वही है जो मैं कह चुका हूँ। तुम जानते ही हो। इस पर शेख़ ने घर पहुँचते ही उस ब्राह्मण को क़तल करा दिया। जब यह बात बादशाह

को सुनाई गई तो बादशाह बहुत नाराज़ हुए । बेगमों ने अन्दर से और हिन्दू मुसाहिबों ने बाहर से कान भरे कि इन मुल्लाओं को आपने बहुत सिर चढ़ाया है । अब इनका यहाँ तक हौसला बढ़ गया है कि ये लोग आपका भी मुलाहिज़ा नहीं करते । बग़ैर हुक्म के ही अपनी हकूमत जताने के लिए आदमियों को क़तल कर डालते हैं । इन बातों से बादशाह उखड़ गये । निदान एक रात उन्होंने फ़तेपुर में अनूप तालाब पर जाकर इस मामले को छेड़ा और क़ाज़ियों तथा मुफ़तियों से इस मामले की पूछ-तांछ की तो एक ने कहा कि जो गवाह पेश हुए थे उनसे पूरे पूरे सवाल न हो कर ज़ियादा पूछ ताछ नहीं हुई होगी । दूसरा बोला कि ताअज्जुब है कि शेख़ अबदुलनबी जब यह दावा करता है कि मैं इमामअबूहनीफ़ा की औलाद हूँ तो फिर उसने अपने दादा के ख़िलाफ़ क्योंकर यह काम किया । क्योंकि इमामअबूहनीफ़ा के मज़हब में उन काफ़िरों का कि जो मुसलमानों के ताबेदार हों पैग़म्बर को बुरा कहना बदअहदी में दाख़िल नहीं है जैसा कि उनकी किताबों में लिखा है । मुल्ला अबदुलक़ादिर बदायूंनी अपनी किताब मुन्तख़बउल तवारीख़ में लिखता है कि "उस वक्त, बादशाह ने दूर से अचानक मुझको देख कर पुकारा और फ़रमाया कि आगे आ । मैं गया तो पूछा कि तू ने भी सुना है ९९ मसलों* से तो क़तल का अर्थ निकलता हो और एक मसले से छोड़ देने का मतलब पाया जावे तो मुफ़्तियों को चाहिए कि अख़ीर मसले पर अमल करें । मैंने कहा कि हाँ ऐसा ही है जैसा कि हज़रत फ़रमाते हैं । वह मसला यह है कि "सज़ा शुबहा† में छोड़ दी जाती है ।" इसके मायने भी मुफ़स्सिल बयान किये तो अफ़सोस करके पूछा कि "क्या अबदुलनबी को इस मसले की ख़बर न थी । जो उस बिचारे ब्राह्मण को मार डाला । यह क्यों कर हुआ ।" मैंने कहा, अलबत्ता शेख़ इल्मवाला है । जो उसने इस मसले के होते हुए भी जान बूझ कर ऐसा हुक्म जारी कर दिया । सो ज़ाहिर में किसी मसलहत के वास्ते होगा । फ़रमाया कि मसलहत क्या है ? मैंने अरज़ की कि यही फ़साद और आम लोगों की सीना ज़ोरी को दबाना । इसकी बाबत जो मसला क़ाज़ी अयाज़ की किताब में जिसका नाम शफ़ा है मेरे देखने में

---

* व्यवस्थाओं ।   † संदेह ।

आया था वह मैंने अरज़ किया। इस पर बाज़े आदमियों ने कहा कि क़ाज़ी अयाज़ इमाम अबुमालिक के मज़हब का था और उसकी बात उन मुलकों में कि जहाँ इमाम अबूहनीफ़ा का मज़हब चलता है, सनद (प्रमाण) नहीं है। बादशाह ने मुझसे पूछा कि तुम इसमें क्या कहते हो? मैंने कहा कि क़ाज़ी अयाज़ इमाम मालिक के रास्ते पर चलता तो था परन्तु जो कोई क़ाज़ी सज़ा के वास्ते उसकी राय पर अमल करे तो शरे* की रू से जायज़ है। इस विषय में बहुत सी बहस हुई और लोग उस वक्त देखते थे कि बादशाह की मूँछों के बाल शेर के बालों की तरह खड़े हो रहे थे सिर के पीछे से मुझको मना करते थे कि बस अब बहस न कर। बादशाह ने एक दम से तेवर बदल कर फ़रमाया कि यह ठीक नहीं है जो तू कहता है। मैंने फ़ौरन मान लिया और लौट कर मिसल में खड़ा हो गया।

उस दिन से शेख़ अब्दुलनबी के काम में ख़लल पड़ गया। बादशाह की अगली पिछली नाराज़ी उससे बढ़गई। यहाँ तक नौबत पहुँची कि शेख़ ने दरबार में जाना छोड़ दिया। उसी बीच में शेख़ मुबारक आगरे में फ़तेहपुर से आया। बादशाह ने यह सब हाल उससे कहा। वह बोला कि आप ख़ुद अपने ज़माने के इमाम और हाकिम हो। आपको मुल्की और मज़-हबी हुक्मों के जारी करने में कुछ ज़रूरत ऐसे लोगों की नहीं है जो एक झूठी नामवरी के सिवा कुछ नहीं जानते। बादशाह ने कहा कि जब आप हमारे उस्ताद हो और हमने सबक़ आपके पास पढ़ा है तब क्यों नहीं हमको इन मुल्लाओं के पंजे से छुड़ा देते हो। तब बादशाह के मज़हबी हाकिम और तमाम मज़हबी हाकिमों से बढ़ कर होने के बाबत एक छोटा सा महजरनामा लिखा गया जिस पर सब मौलवियों ने दस्तख़त कर दिये। शेख़ अब्दुल-नबी और मख़दूम उलमुल्क की भी गवाही उस पर लिखाई गई। फिर दोनों को मक्के जाने की इज़ाजत देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिया"। बाद-शाह ने अदालत दीवानी फ़ौजदारी का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। उस दिन से हिन्दू मुसलमानों का इन्साफ़ कुछ बराबर हो चला।

इस वृत्तान्त से यह प्रकट है कि उस समय तो उस ब्राह्मण के प्राण बादशाह के इतने प्रयत्न करने पर भी नहीं बच सके थे परन्तु आइन्दा के वास्ते

---

* मुसलमानी धर्मशास्त्र।

एक उत्तम दृष्टान्त और प्रमाण हिन्दुओं को उस न्यायी और विचारवान् बादशाह के इन्साफ़ से फ़ायदा उठाने का मिल गया।

इन्साफ़ ३१

जहाँगीर बादशाह के महल में एक घण्टा लटका रहता था। जो कोई फ़रयादी होता वह उसको हिला देता। बादशाह फ़ौरन उसका न्याय कर देते थे। एक दिन गधे ने ज़ंजीर हिलाई। बादशाह ने आकर उसको देखा तो उसकी पीठ लगी हुई थी, उसके मालिक से फ़रमाया कि इसका इलाज करो और दो मन से ज़ियादा बोझ मत लादो, नहीं तो राज से दण्ड मिलेगा।

इन्साफ़ ३२

जहाँगीर बादशाह के राज में एक पठान के घर लड़का हुआ। उसने एक गाय के बछड़े को मार कर उत्सव किया। गाय ने जाकर घंटे की डोर हिलाई। बादशाह बाहर आये और गाय के साथ आदमी किया कि जिसने इस पर .ज़ुल्म किया है उसकी ख़बर लाओ। गाय पहले मालिक के घर गई। मालिक ने कहा कि मैंने इसको और तो कुछ दुःख नहीं दिया परन्तु इसके बछड़े को अलबत्ता एक पठान के हाथ बेचा है। तब आदमी गाय को साथ लेकर पठान के घर गया। पठान बोला कि मैंने अपने कुलकर्मानुसार बछड़े को मारा है। आदमी उस पठान को लेकर ह.ज़ूर में आया। गाय भी साथ ही थी। बादशाह ने फ़रमाया कि पठान गाय का क़सूरवार है। इसके हाथ पाँव बाँध कर गाय के आगे डाल दो। जब चाकरों ने ऐसा ही किया तब गाय ने सींगों से उस पठान को मार डाला।

इन्साफ़ ३३

नूरजहाँ बेगम का भाई लाहौर का सूबेदार था। उसके ख़िदमतगार ने एक खतरानी को देखकर अपने पास बुलवाया परन्तु वह नहीं गई तब एक नायक के द्वारा उसके शरीर के चिह्न मालूम करके आशनाई का झूठा दावा उस पर कर दिया। सूबेदार ने दावे के अनुसार चिह्न मिलजाने से स्त्री का कुछ प्रत्युत्तर नहीं सुना तब उसका पति जहाँगीर बादशाह के ह.ज़ूर में

फ़रयादी गया। बादशाह ने औरत को अलग ले जाकर देखा तो बिलकुल वैसी ही दीख पड़ी जैसा वह ख़िदमतगार कहता था। तब बादशाह ने पूछा कि तुझे नहलाने धुलाने के लिए कौन स्त्री आती है। उसने नायन का नाम बतलाया। बादशाह ने समझ लिया कि उसी ने यह चिह्न बता दिये हैं। फिर ख़िदमतगार से पूछा कि तूने जो दो चार बार के मिलने से ही परस्त्री के सब चिह्न बता दिये हैं तो अपनी स्त्री के भी ऐसे ही सारे चिह्न बता। वह तो तेरे पास बहुत वर्षों से रहती है। परन्तु जब वह उसके चिह्न ठीक ठीक नहीं बता सका तब बादशाह ने ख़िदमतगार को मरवाडाला और सूबेदार को दण्ड दिया। जब नूरजहाँ बेगम यह सुनकर ग़ुस्से हुई तब फ़रमाया कि हमने तेरी मुहब्बत में जान बेची है, ईमान नहीं बेचा।

इन्साफ़ ३४

एक दिन जहाँगीर बादशाह जमना पर झरोखे में बैठे थे। एक मुँह बँधा हुआ घड़ा पानी पर तिरता नज़र आया। उसको मँगवा कर खोला तो एक स्त्री के हाथ-पाँव निकले। कुम्हार और ख़रीदार की तलाश करके मारनेवाले का पता लगाया और जान से मरवा डाला।

इन्साफ़ ३५

नूरजहाँ बेगम एक दिन बाग़ में टहल रही थी। उस समय एक बागवान सोया हुआ नज़र आया। उसको बंदूक़ से मरवाडाला। उसकी औरत बादशाह के पास फ़रयादी गई। बादशाह ने बंदूक़ भर कर उसके हाथ में दी और कहा कि नूरजहाँ ने तेरे ख़ाविंद को मारा है, मैं नूरजहाँ का ख़ाविंद हूँ तू मुझको मारडाल। यह सुनकर उसने अरज़ की कि मैंने अपना इन्साफ़ भर पाया।

इन्साफ़ ३६

एक साहूकार ने लाख रुपये की अशर्फ़ियाँ दिल्ली में एक क़ाज़ी को अमानत सौंपी थीं। कई वर्ष पीछे माँगीं तो क़ाज़ी नट गया। साहूकार ने नव्वाब अलीमरदान ख़ाँ को अरज़ी दी। नव्वाब ने उससे कहा कि तू यह हाल

किसी से न कहना; मैं तेरी अशर्फ़ियां क़ाज़ी से मँगवा दूँगा। यह कह कर नव्वाव क़ाज़ी के मकान पर गया और कहा कि मैं किसी बुरे व़क्त के लिए नौ लाख रुपये की अशर्फ़ियाँ आपके पास अमानत रखना चाहता हूँ। आप अपने मकान में एक हौज़ बनवा रखिए। क़ाज़ी ने राज़ी होकर कई दिनों में हौज़ तैयार कराया और नव्वाव को रुक्का लिखा कि हुक्म की तामील हो गई है। नव्वाव ने जवाव भेजा कि दो चार दिन में अशर्फ़ियाँ ज़नानी सवारियों के बहाने से भेजता हूँ और साहूकार को बुला कर कहा कि कल तू क़ाज़ी के पास जा कर कहना कि या तो मेरी अशर्फ़ियाँ दे दे नहीं तो मैं नव्वाब अलीमरदान खाँ की मारफ़त बादशाह को अरज़ी दूँगा। साहूकार ने जाकर जो यह बात क़ाज़ी से कही तो क़ाज़ी ने सोचा कि जो नव्वाब यह बात सुन पावेगा तो फिर काहे को नौ लाख की अशर्फ़ियाँ मेरे पास रक्खेगा और इसकी अमानत न देने से एक बड़ी रक़म हाथ से जाती रहेगी। यह सोच कर उसने तुरन्त उसकी अशर्फ़ियाँ दे दीं।

इन्साफ़ ३७

एक बनिया घी बेचा करता था। उसने अपना बिछौना उठाया तो एक रुपया ज़मीन पर गिर पड़ा। वह एक सिपाही ने उठा लिया। इस पर वे दोनों झगड़ते झगड़ते शीदी फोलाद खाँ के पास गये। शीदी ने सिपाही से पूछा कि तू यह रुपया कहाँ से लाया। उसने कहा कि बादशाही ख़ज़ाने से लाया हूँ। बनिया बोला कि यह रुपया तीन दिन तक मेरे बिछौने के तले रहा है। शीदी ने गरम पानी मँगवा कर उस रुपये को डाला तो घी की चिकनाई ऊपर आई। तब वह रुपया बनिया को दिलवा दिया।

इन्साफ़ ३८

एक ब्राह्मण बावड़ी पर अपनी थैली रख कर ज्यों ही नहाने को उतरा त्योंही एक उचक्का चुपके से वह थैली उठा ले गया। ब्राह्मण बाहर आ कर थैली के वास्ते रोने और चिल्लाने लगा। जिसको सुनकर शीदी फोलाद खाँ वहाँ आया और एक पत्थर के कोड़ा मारा और फिर उस पत्थर से कान लगा कर बोला कि यह पत्थर यों कहता है कि जिसकी पगड़ी में तिनका है वही

चोर है। उचक्के ने डर कर पगड़ी पर हाथ लगाया। शीदी ने उसको पकड़ कर थैली निकलवा ली।

इन्साफ़ ३९

एक आदमी ने कई वर्षों के पीछे लाहौर में अपने घर आकर रोटी खाई और मर गया। उसके भाई-बन्धु उसकी औरत पर ज़हर देने का दोष लगा कर कचहरी में पकड़ ले गये। नव्वाब जकरया ख़ाँ वहाँ का सूबेदार था। उसने औरत को भलीमानस देख कर पूछा कि तेरे ख़ाविन्द ने रात को क्या खाया था। औरत ने कहा कि रोटी ऊपर रक्खी थी वह खाई थी। नव्वाब ने वहाँ जाकर देखा तो रोटी पर चीटियाँ जमा थीं। चीटियों के बिल को देखा तो वहाँ साँप मरा पड़ा था जिसके ज़हर का असर चीटियों के द्वारा रोटियों में आ गया था। नव्वाब ने यह इन्साफ़ करके औरत को छोड़ दिया।

इन्साफ़ ४०

माह मोहर्रम सन् ११२१ हिजरी में अमीर उलउमरा हसन अली ख़ाँ दक्षिण से एक बड़ा भारी कटक लिये हुए दिल्ली को आता था। रास्ते में किसी फ़क़ीर की औरत अपनी ख़ुशी से एक सवार के साथ हो गई। फ़क़ीर ने ख़बर पा कर अमीर उलउमरा से फ़रियाद की। उसने उसी दम लशकर को ठहरने का हुक्म दिया और तलाश करके वह औरत उसके ख़ाविन्द को सौंप दी। इसके सिवा कुछ अशर्फ़ियाँ भी उसको इनायत कीं और ख़ुदा का शुक्र किया कि उस औरत की इज्ज़त में कुछ ख़लल नहीं पड़ा था।

इन्साफ़ ४१

शदीद जो कि आद का बेटा, साम का पोता और नूहपैग़म्बर का पड़पोता था, वह एक न्यायी नरेश हो गया है। उसने अपने राज्य में एक आदमी को अदालत के काम पर नौकर रक्खा था। वह एक वर्ष तक कचहरी में बैठा परन्तु कोई फ़रयादी उसके पास नहीं आया तब उसने शदीद के पास जाकर कहा कि तनख़ाह लेना मुझ को वाजिब नहीं है क्योंकि इस बीच में मैंने कोई काम अदालत का नहीं किया। शदीद ने कहा कि जब तू अपने काम पर बैठा

रहा तो मैं तनख़ाह क्योंकर न दूँ। क़ाज़ी यह सुन कर फिर अपने काम पर चला गया। अब दो आदमी उसके पास आये। एक ने कहा कि मैंने इस आदमी से घर मोल लिया है उसमें ख़ज़ाना मिला। इससे वहुत कहा कि अपना ख़ज़ाना लेले; मैंने घर ख़रीदा है ख़ज़ाना नहीं ख़रीदा है। पर यह नहीं मानता है। इस पर दूसरा वोला कि मैंने घर और जो कुछ उसके अंदर था सव ही इस को वेच डाला सो अव वह ख़ज़ाना भी इसी का है, मैं कैसे लेलूँ। यह झगड़ा वहुत दिनों तक चलता रहा और उस ख़ज़ाने को न वह लेता था और न यह, निदान क़ाज़ी को मालूम हुआ कि इन दोनों में से एक के लड़का है और दूसरे के लड़की है तव उसने उनका सम्वन्ध करा दिया और वह ख़ज़ाना लड़की के दहेज में दिला कर दोनों को एक दूसरे से राज़ी कर दिया *।

इन्साफ़ ४२

एक दिन एलिया और यूहन्ना नाम आदमी दाऊद पैग़म्बर के पास गये। एलिया ने अरज़ की कि मेरे पास एक बाग़ अंगूर का है जिसकी आमदनी पर अपना निर्वाह करता हूँ। कल रात यूहन्ना ने अपनी वकरियाँ इस बाग़ में छोड़दीं और वे मेरी खेती को खा गईं। दाऊद ने निर्णय करने, अपराध का निरूपण हो जाने और हानि तथा वकरियों का मोल निश्चय कर लेने पर हुक्म दिया कि खेती यूहन्ना को दिला दी जावे और वकरियाँ एलिया लेले। दाऊद के बेटे सुलेमान ने जब यह सुना तब कहा कि यह फ़ैसला ख़ुदा के पैग़म्बर ने अच्छा नहीं किया। यह सुनकर दाऊद ने सुलेमान को बुलाया और पूछा तो सुलेमान ने कहा कि मेरी समझ में यह होना चाहिए कि एलिया की खेती यूहन्ना को देदी जावे कि वह मिहनत करके उसको असली हालत पर लावे और यूहन्ना की वकरियाँ एलिया के पास रहें और वह उनके फ़ायदे से अपने नुक़सान को पूरा करे। जब खेती अपनी असली हालत पर आजावे तब एलिया को सौंपदी जावे और यूहन्ना की वकरियाँ यूहन्ना को

---

* सृष्टि के आदि में जैसी रैयत की नीयत ठिकाने थी वैसी ही राज की भी नीयत थी। फिर तो ख़ज़ाने पर सरकार का हक़ हो गया था और उसके वास्ते बड़ी बड़ी सख़्तियाँ ख़ज़ाना पाने की ख़बर सुनते ही लोगों पर की जाती थीं।

एलिया से पीछे दिलादी जावे। दाऊद ने इस सम्मति को पसंद किया और उसी के अनुकूल इन्साफ़ करके दोनों को राज़ी कर दिया।

इन्साफ़ ४३

बनी इसराइलजाति की दो महिलायें एक ही महल में रहती थीं। दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। एक रात एक युवती ने नींद में करवट से दबाकर अपने बच्चे को मार डाला। जब आधी रात को यह हाल मालूम हुआ तब उसकी लाश दूसरी ललना के पास डाल आई और उसका बच्चा अपने गोद में उठालाई। सवेरा होते ही इस बात पर उनमें झगड़ा खड़ा हुआ। दोनों दाऊद के पास गई परन्तु किसी के पास कोई सबूत अपने दावे का नहीं था इसलिए दाऊद ने यह फ़ैसला किया कि लड़के को वही रक्खे जिसके पास है परन्तु सुलेमान ने तलवार मँगाकर कहा कि इस लड़के के दो टुकड़े कर के आधा आधा दोनों को बाँट दूँगा। यह सुन कर एक तो राज़ी हो गई परन्तु दूसरी ने रोकर कहा कि मैंने अपना भाग छोड़ा, लड़के को मत मारो, इसी को देदो। सुलेमान ने कहा कि बस यह लड़का इसी का है और उसको दिला दिया।

इन्साफ़ ४४

दाऊद पैग़म्बर के समय में एक सती स्त्री अपने करज़दार पर नालिश करने को क़ाज़ी के पास गई। वह उसके रूप पर रीझकर अपने ही मतलब की कहने लगा। तब बेचारी बड़े क़ाज़ी के पास गई। वह भी छोटे क़ाज़ी के समान पाज़ी निकला। स्त्री उसकी सूरत पर भी लानत भेजकर कोतवाल के पास आई। वह भी वैसाही लुच्चा था। निदान द्वारपाल से मिली। वह भी उन तीनों से कम नहीं था। तब बुरों की जान को रो कर अपने घर में चुप-की बैठ रही। कुछ समय पीछे वे चारों पाजी एक जगह बैठे गप्पें मार रहे थे, उनमें उस सती का भी प्रसंग आ गया जिसके आगे वे चारों झकमार चुके थे और फीके पड़ चुके थे जिससे दिल में जले भुने बैठे थे इसलिए आपस में उसके मार डालने की सलाह करके दाऊद के पास गये और कहने लगे कि अमुक औरत ने एक कुत्ता पाला है और उससे बुरा काम कराती है। दाऊद ने उन चारों की गवाही पर हुक्म दे दिया कि वह कुलटा मारे पत्थरों के

मार* दी जावे परन्तु सुलेमान ने उसी क्षण दरबार से उठकर चार लड़कों को हुक्म दिया कि गवाह बन कर उसके अपराध की गवाही दें। और जब उन्होंने ऐसा ही किया तब फिर आपने उन चारों को अलग अलग लेजाकर एक एक से उस कुत्ते का रंग पूछा तो किसी ने काला बतलाया, किसी ने लाल और किसी ने कहा कि सफ़ेद है। सुलेमान ने उनको झूठा करके कहा कि यह अपराध उस अबला पर झूठा लगाया गया है। वह सच्ची है। एक द्वारपाल ने यह हाल देखकर दाऊद से कहा, तब उन्होंने भी उन चारों चुग़लखोरों को अलग अलग बुलाकर कुत्ते का रंग पूछा तो एक ने दूसरे से विपरीत बताया। यह सुनकर स्त्री को तो छोड़ दिया और उन चारों को झूठी गवाही देने की सज़ा में मरवा डाला।

इन्साफ़ ४५

एक दिन दाऊद और सुलेमान दोनों टहलते टहलते एक बस्ती में जा निकले। वहाँ एक लड़का देखा जिसको इब्न-उल-दुम अर्थात् ख़ून का बेटा कहते थे। दाऊद ने लोगों से पूछा कि यह क्या नाम है। इसके सिवा यहाँ और भी कोई आदमी इस नाम का है। उन्होंने कहा कि यह नाम तो बस इसी का है। सुलेमान ने अपनी बुद्धि से ताड़ लिया कि ऐसा नाम रखने में कुछ भेद है। और वहाँ से लौट कर अपने बाप की आज्ञा से उस जाति के आदमियों को बुलाया और प्रत्येक से अलग अलग पूछा कि यह नाम इस लड़के के बाप के कहने से रक्खा गया है या नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसका सारांश यह है, कि इसका बाप जब अपने धनमाल के वास्ते लुटेरों के हाथ से घायल हो कर गिरा तब मरते मरते अपनी जोरू से यह कह मरा कि तू पेट से है। लड़का हो तो उसका नाम इब्नउल्दुम और लड़की हो तो बिन्तुउलदुम अर्थात् ख़ून की लड़की रखना। सो उसके अनुसार यह नाम रक्खा गया है। सुलेमान ने यह भेद दाऊद से कहा और दाऊद ने उस घटना का पता लगा कर हत्यारों को पकड़ा और उस लड़के को उसके बाप का धनमाल दिला कर फिर उन सबको मरवा डाला।

---

* यही दंड मुसलमानी धर्मशास्त्र में भी बुरे काम (व्यभिचार) का है।

इन्साफ़ ४६

नौशेरवाँ बादशाह एक दिन बुजुर्जे महिर वज़ीर को साथ लेकर शिकार को गया। रात को ये दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस पर दो उल्लू बोले। बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि ये क्या कहते हैं ? वज़ीर ने अरज़ किया कि एक उल्लू दूसरे से कहता है कि मैं अपनी बेटी तेरे बेटे को ब्याहना चाहता हूँ। दूसरा कहता है कि बीस ऊजड़ गाँव दहेज में देगा तो ब्याह लूँगा। यह सुनकर वह उल्लू कहता है कि जो यही बादशाह और वज़ीर रहे तो, बीस गाँव क्या सारा देश ही ऊजड़ हो जावेगा और मैं वह तुझको दे डालूँगा। बादशाह यह सुनकर शरमा गया, क्योंकि न्याय नहीं करता था और महल में आकर हुक्म दे दिया कि कल इन्साफ़ के वास्ते मैं बैठूँगा, जिसकी जो नालिश हो वह अरज़ी लिख कर रात के अमुक सूखे झालरे में डाल दे। सवेरा होते होते वह झालरा अरज़ियों से भर गया। बादशाह ने पहली अर्ज़ी मँगाई तो वह एक बुढ़िया की थी। जिसमें लिखा था कि मेरे बेटे को शाहज़ादे ने तोते के वास्ते मार डाला है। बादशाह ने निर्णय करके शाहज़ादे को मरवा दिया और कहा कि बाक़ी इन्साफ़ कल करेंगे। यह सुनकर रात को ही लोगों ने अपनी अपनी अरज़ियाँ ले जाकर आपस में राज़ीनामा कर लिया। बादशाह ने दूसरे दिन अरज़ी माँगी तो एक भी न थी।

इन्साफ़ ४७

नौशेरवाँ बादशाह ने एक बड़ा राजभवन बनवाया था जो काखे किसरा के नाम से प्रसिद्ध है। जब वह बन गया तब बड़ा उत्सव किया और दूर दूर से आदमियों को बुला कर उस विशाल भवन में जिमाया और फिर सबसे पूछा कि देखो इसमें कोई कसर तो नहीं रह गई है। जब सब लोग उसको देख चुके तो रूम के बादशाह के वकील ने कई सुयोग्य और समझदार लोगों की सलाह से अरज़ किया कि ऐसी इमारत आज तक किसी ने दुनिया में नहीं देखी है और इसमें सिवा इसके और कुछ कसर नहीं है कि पास के झोंपड़े से धुआँ आता है और मकान काला होता है। नौशेरवाँ ने कहा, वह झोंपड़ा एक बुढ़िया का है। जब इस भवन की नींव रक्खी गई थी तब मैंने उससे कहलाया था कि तू मुँहमाँगा मोल ले ले और यह झोंपड़ी मुझको

बेच दे जिससे मेरी जगह समचौरस हो जावे। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैं तमाम जहान बादशाह के पास देख सकती हूँ और बादशाह एक झोंपड़ी भी मेरे पास नहीं देख सकता। मैं सुनकर चुप हो रहा और कुछ न बोला। जब रात हो गई तब मैंने बहुत उम्दा खाना उसके लिए भेज कर कहलाया कि प्रत्येक रात्रि में इसी तरह से मैं भेजता रहूँगा; तू अपने घर में आग मत जला। क्योंकि उसके धुएँ से यह महल काला होता है। बुढ़िया ने खाना फेर दिया और कहा, भला यह कब हो सकता है कि लाखों आदमी तो दुनिया में भूखों मरते हैं और मैं ऐसे ऐसे माल उड़ाऊँ। क्या मुझे अपने ख़ुदा का डर नहीं है कि ७० वर्ष तो मैंने खरी कमाई के रूखे सूखे टुकड़े खाकर गुज़ार दिये और अब मरते व़क्त ऐसे भोजन से पेट भरूँ। तू मेरे झोंपड़े को जैसा है वैसा ही रहने दे। इससे तेरे इन्साफ़ की कचहरी की दूनी शोभा हो गई है। तेरे नौकर जब देखेंगे कि बादशाह यहाँ तक न्याय करता है कि एक बुढ़िया का झोंपड़ा भी नहीं ले सकता तब वे भी प्रजा की धन-सम्पत्ति से अपना हाथ रोके रहेंगे और तेरा यह महल तो बहुत वर्षों तक बना नहीं रहेगा परन्तु मेरे और तेरे पड़ोसी रहने की बातें अवश्य सदा के लिए बनी रहेंगी। जब मैंने यह सुना तब उसके पड़ोस में रहने पर राज़ी हो गया।

यह भी कहते हैं कि उस बुढ़िया के एक गाय थी। वह रोज़ सुबह और शाम बादशाह की उस क़ीमती बिछायत के ऊपर होकर जो उस महल के सामने बिछी रहती थी आया जाया करती थी और आते जाते मल, मूत्र, डाल जाती थी। एक दिन किसी बादशाही मुसाहिब ने बुढ़िया से कहा कि भला बुढ़िया तू अपनी गाय से बादशाह के रोब दाब में फ़रक़ क्यों डलवाती है। बुढ़िया ने कहा कि बादशाही रोब दाब में तो ज़ुलम से फ़रक पड़ता है, इन्साफ़ से नहीं। मैं जो कुछ करती हूँ बादशाह का यश और इन्साफ़ बढ़ाने के लिए करती हूँ।

इन्साफ़ ४८

उमरख़लीफ़ा ने कहा है कि मैं जब मुसलमान नहीं हुआ था तब व्यापार किया करता था। एक बेर मेरा कुछ माल चोरी गया। मैंने नौशेरवाँ आदिल के पास जाकर फ़रियाद की। नौशेरवाँ ने मुझको एक मकान में ठहरा

दिया। मैं रोज़ एक वेर दरबार में जाकर सलाम कर आता था। तीसवें दिन क्या देखता हूँ कि मेरा वही माल डेरे में धरा है और उसके पास साठ द्रम नक़द; एक हाथ कटा हुआ और एक कागज़ रक्खा है। मैंने कागज़ को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह तेरा माल है, यह चोर का हाथ है और यह साठ द्रम तेरे तीस दिन के हरजे और ख़रचे के हैं। मैं इस तरह से अपने इन्साफ़ को पहुँच कर उस न्यायी बादशाह को दुआ देता हुआ घर आया।

इन्साफ़ ४९

नौशेरवाँ के बेटे हुरमुज़ का एक बवरची किसी बाग़ में गया और उसने माली से पूछे बिना ही एक गुच्छा अंगूर का तोड़ लिया। माली ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा, या तो मुझे राज़ी कर, नहीं तो हुरमुज़ के पास तेरे अन्याय की पुकार करूँगा। उसने चाहा कि कुछ दे दिला कर उस को राज़ी करले परन्तु वह राज़ी न हुआ। तब उसने बादशाह के डर से एक हज़ार अशरफ़ियाँ उसको दीं और राज़ी किया। न्यायी बादशाह का डर ऐसा ही होता है।

इन्साफ़ ५०

मुहम्मद पैग़म्बर के पुरखाओं में से आमिर नामक एक बड़ा आदमी अरब में था। जिससे सब लोग बिकट बिकट न्याय कराया करते थे और कभी उसके हुक्म से मुँह नहीं मोड़ते थे और वह भी न्याय में कभी नहीं चूका था। परन्तु एक बेर जब कुछ लोग एक हिजड़े को उसके पास लाये और कहने लगे कि इसको बाप की जायदाद में से हिस्सा देना है? फ़रमाइए कि इसे औरतों में गिनें या मरदों में। आमिर इस विषय में कुछ कह न सका और कई दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर गया। रात को बिछौने पर इधर उधर करवटें लेता था और उस लड़के के दायभाग को सोचता था। सख़ील नाम की उसकी लौंडी थी। उसने जो अपने स्वामी का यह हाल देखा तो पूछा कि क्या बात है? आमिर ने कहा कि मैं जिस बात में थक गया हूँ उसमें तुझको बोलना नहीं चाहिए। सख़ील ने नहीं माना और बहुत कुछ हठ किया। तब आमिर ने वह बात उससे कही। उसने अरज़ की कि यह तो कुछ मुशकिल नहीं है। उस हिजड़े को पेशाब करने का हुक्म दो, जो वह औरतों

की तरह से पेशाव करे तो उसके वास्ते औरतों में गिनने का हुक्म लगाओ और जो ऐसा न हो तो वह मर्द होगा। आमिर ने इस वात को वहुत ही सराहा और तड़के ही उन लोगों के पास जाकर उसी तौर से न्याय कर दिया।

इन्साफ़ ५१

एक दिन हज़रतअली ऊँट पर सवार कहीं जाते थे। रास्ते में तीन आदमी अपने अपने हिस्से के वास्ते झगड़ रहे थे, क्योंकि हिस्सा बरावर नहीं वँटता था। अली को देख कर उनके पास आये और कहने लगे कि हमारा हक़ १७ ऊँटों पर पहुँचता है। परन्तु उनके वाँटने में वड़ी मुशकिल पड़ रही है। अली ने पूछा, मुशकिल क्या है ? एक ने कहा कि मैं आधे ऊँट माँगता हूँ। दूसरे ने कहा कि मेरा तीसरा हिस्सा है। तीसरा वोला, मुझको नवाँ हिस्सा चाहिए। अली ने यह सुन कर अपना ऊँट भी उन ऊँटों में मिला दिया और फ़रमाया कि अपना अपना हिस्सा ले लो। तब आधे हिस्से वाले ने तो नौ ऊँट ले लिये और तीसरे हिस्से के दावेदार ने छः लिये। और जो नवाँ हिस्सा माँगता था। दो उसने लिये। बाद इस वटोते के कि जिसमें हर एक को हिस्से से कुछ ज़ियादा ही पहुँचा था एक ऊँट बाक़ी रह गया सो वह अली का था।

इन्साफ़ ५२

एक दिन एक जवान उम्र ख़लीफ़ा के पास आया और वोला कि मेरी माँ मुझ पर ज़ुलम करती है। बाप की जायदाद पचाने के लिए कहती है कि तू मेरा वेटा नहीं है। ख़लीफ़ा ने उसकी माँ के पास आदमी भेजा तो वह चार भाई और चालीस गवाह लेकर आई। ख़लीफ़ा ने उससे कहा कि तुझको यह जवान अपनी माँ वताता है। उसने कहा; झूठा है और नाहक़ मुझको बदनाम करता है। मैंने हरगिज़ इसको नहीं जना है। ख़लीफ़ा ने पूछा, कोई तेरा गवाह है। उसने कहा, ये सब लोग गवाह हैं। उन्होंने भी वैसी ही गवाही दे दी। तब ख़लीफ़ा ने हुक्म दिया कि यह जवान बड़ा जालसाज़ है। इसको जेलख़ाने में ले जाओ। रास्ते में वह अली को देख कर चिल्लाया कि मुझ पर बड़ा ज़ुलम होता है। आप ख़ुदा

के वास्ते मेरा इन्साफ़ करो और वह सब हाल भी कह दिया। अली ने हुक्म दिया कि अच्छा इस जवान को अदालत में ले चलो और कुछ देर पीछे आप भी गये और ख़लीफ़ा से बोले कि आप कहें तो मैं इस मुक़द्दमें में कुछ हुक्म दूँ। उमर ने कहा, बहुत ख़ूब है। अली ने उस औरत से पूछा कि क्यों यह तेरा बेटा नहीं है? कहा, हाँ। फिर पूछा कि तू मुझको अपना वली यानी धर्म-बाप करती है। कहा, हाँ, करती हूँ। तब अली ने उसी दम चार सौ रुपये मँगवा कर फ़रमाया कि मैं यह रक़म इस औरत के मिहर में देकर इस जवान का निकाह इसके साथ करता हूँ। तुम सब लोग जो हाज़िर हो गवाह रहना और जवान से कहा कि औरत का हाथ पकड़ कर इसको घर में ले जा। जवान ने घबरा कर कहा, या हज़रत। यह काम मुझसे नहीं होगा। फ़रमाया, जो मैं कहता हूँ वह करना होगा। वह औरत का हाथ पकड़ कर अन्दर ले जाने लगा। उस समय औरत चिल्लाई कि हे मुसलमानों के अमीर! मेरी तोबा है। तू ख़ुदा और ख़लक़ के रोबरू मेरी फ़ज़ीहती न कर। यह मेरा सगा बेटा है। मैं क्योंकर इसको ख़सम बना सकती हूँ? मुझको तो मेरे भाइयों ने बहका दिया था कि इसको निकाल दे नहीं तो बाप की जायदाद माँगेगा। यह कह कर उसने बेटे का सिर चूमा और रोने लगी। अली ने गवाहों को सज़ा दी और औरत से कहा कि अपने बेटे को घर ले जा। यह इन्साफ़ देख कर उमर ने कहा कि आपने मुझको पाप से बचाया।

इन्साफ़ ५३

एक सौदागर एक बेटा और पाँच ग़ुलाम छोड़ कर मर गया। एक दिन लड़के ने किसी बात पर एक ग़ुलाम को पीटा। उसने अदालत में जाकर उमर ख़लीफ़ा से कहा कि मैं फलाने सौदागर का बेटा हूँ। वह तो मर गया और ग़ुलाम घर का मालिक हो गया है। उमर ने फ़रमाया कि उस ग़ुलाम को दो गवाहों समेत हाज़िर कर। उसने कहा, शहरवालों से तो मेरी जान पहिचान नहीं है। क्योंकि मेरा बाप थोड़े ही दिनों से आया हुआ था। परन्तु यहाँ मेरे बाप के दूसरे ग़ुलाम तो मौजूद हैं। वे गवाही दे सकते हैं। ख़लीफ़ा ने कहा, अच्छा। तब उस ग़ुलाम ने लौट कर उन ग़ुलामों से कहा कि जो तुम मेरे वास्ते यह गवाही दे दो कि हमारे मालिक का यही बेटा है तो मैं तुमको स्वतन्त्र कर दूँगा। उनमें से दो ने यह बात मान ली और

अदालत में जाकर गवाही दे दी। तब ख़लीफ़ा ने सौदागर के बेटे को बुला कर पूछा कि क्या तू उस सौदागर का .गुलाम है ? उसने कहा, नहीं मैं तो उसका बेटा हूँ और इस मुद्दई .गुलाम के सिवा मेरे चार .गुलाम और भी हैं। ख़लीफ़ा ने उनको बुलाया तो उनमें से दो ने गवाही दी कि यह लड़का हमारे मालिक का बेटा है और वे तीनों .गुलाम अर्थात् एक मुद्दई और दो गवाह झूठे और नमकहराम हैं। ख़लीफ़ा यह सुन कर सुन हो गया और कहने लगा। अय मुसलमानो ! अब इस मुक़द्दमे में कोई क्या हुक्म दे ? जी चाहता है कि यह काम छोड़ दूँ। सलमान फ़ारसी ने कहा कि ऐसी मुश-किलों में हज़रत अली से पूछना चाहिए। ख़लीफ़ा ने उनको बुलाया। उन्होंने आते ही अपने .गुलाम क़म्बर को हुक्म दिया कि इन दोनों मुद्दई मुदायला को मसजिद के झरोखे में ले जाकर इस तौर से बैठा दे कि दोनों के सिर बाहर रहें और फिर तलवार क़म्बर के हाथ में देकर फ़रमाया कि मार इस .गुलाम के। क़म्बर ने ज्योंही तलवार निकाली, .गुलाम ने सिर झरोखे के अन्दर कर लिया और सौदागर का बेटा वैसे ही बैठा रहा। बस न्याय चुक गया।

इन्साफ़ ५४

उमर ख़लीफ़ा के समय में दो आदमी जो पास पास रहते थे, सफ़र में गये थे। उनकी औरतें घर में रहती थीं। एक तो गर्भवती थी और दूसरी की गोद में एक महीने का लड़का था। वह कुछ दिनों पीछे मर गया और उसी बीच में दूसरी औरत के लड़का हुआ। उसने इससे कहा कि जो यह लड़का मुझको दे दे तो मैं अपना दिल बहलाऊँ और तू भी दूध पिलाने की मिहनत से छूट जाय। उसने वैसा ही किया। कुछ समय पीछे जब वह लड़का उससे हिल गया। और उसकी माँ का दूध सूख गया तब एक दिन उनमें कुछ तकरार हो गई। तब लड़के की माँ ने अपना लड़का माँगा। वह बोली, तू दीवानी हो गई है। तेरा लड़का होता तो मैं क्यों दूध पिलाती और तेरा दूध क्यों सूख जाता ? यह मुक़द्दमा उमर ख़लीफ़ा के पास गया। ख़लीफ़ा ने उसको उलझा हुआ देख कर, अली को बुलाया। अली ने क़म्बर से कहा कि एक करोंत ले आ और इस लड़के के दो टुकड़े कर दे ; मैं आधा इसको दूँगा और आधा उसको। यह हुक्म सुनते ही लड़के की माँ रो कर

कहने लगी कि अय मुसलमानों के अमीर ! मैं गवाही देती हूँ कि यह लड़का इसी का है। दो टुकड़े मत करो। मर जायगा। इसी के पास रहने दो; ज़िन्दा तो रहेगा। अली ने कहा—बस, यह लड़का तेरा ही है। तू ले ले और ले जा। ख़लीफ़ा ने पूछा, इस बात की क्या सनद है कि यह लड़का इसी का है जब कि दूसरी औरत के पास दो पक्के प्रमाण हैं। एक तो दूध और दूसरे लड़के का उससे हिला हुआ होना। अली ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि मां की ममता ने लड़के के दो टुकड़े होना सहन नहीं किया। और दूसरी औरत को इसका क्या सोच था ? क्योंकि वह उसका बेटा नहीं था।

इन्साफ़ ५५

ख़लीफ़ा हारूँ रशीद के राज में एक आदमी कोई क़सूर करके भाग गया था। उसके भाई को हारूँ के पास पकड़ लाये। हारूँ ने उसको हुक्म दिया कि अपने भाई को हाज़िर कर नहीं तो उसके बदले तुझको सज़ा मिलेगी। उसने कहा, ऐ ख़लीफ़ा ! जो तेरा कोई हाकिम किसी को मारना चाहे और तू छोड़ देने का हुक्म भेज दे तो वह छोड़ देगा या नहीं ? ख़लीफ़ा ने कहा कि हाँ छोड़ देगा। उसने कहा तो मैं उस बादशाह का हुक्म लाया हूँ कि तू जिसकी तरफ़ से हाकिम है। अब तू मुझको छोड़ दे। हारूँ ने कहा कि वह हुक्म कहाँ है ? मुझको बता। तब उसने कहा कि ख़ुदा क़ुरान में फ़रमाता है कि किसी आदमी को दूसरे के गुनाह में मत पकड़ो। हारूँ ने कान पकड़ लिया और हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। यह बहुत बड़ा हुक्म लाया है।

इन्साफ़ ५६

एक दिन मलिकशाह सलजूकी ज़िन्दारोद नदी पर शिकार खेलने गया था। शिकार के पीछे जब वह थक कर एक खेत में सो गया तब उसका एक ख़ास ग़ुलाम गाँव में गया और वहाँ नदी पर एक गाय चरती हुई देखकर कबाब बनाने का हुक्म दे आया। वह गाय एक ग़रीब बुढ़िया की थी, जिसके दूध से उसकी और उसके चार यतीम बच्चों की परवरिश होती थी। जब उसको यह ख़बर लगी तब वह घबराई हुई पुल पर जा बैठी और बादशाह का

रास्ता देखने लगी। ज्योंही बादशाह की सवारी आई त्योंही उसने दौड़कर घोड़े की बाग पकड़ ली तब उसी ग़ुलाम ने उसको रोका और मारने को कोड़ा उठाया। बादशाह ने कहा, इसको मत रोको। यह ग़रीबनी सताई हुई दीखती है। देखो, किसने इसको सताया है। फिर बुढ़िया की तर्फ़ मुँह करके कहा, क्यों क्या कहती है? बुढ़िया ने कहा! अय अलप अरसलां के बेटे! जो आज तू मेरी फ़रियाद इस ज़िंदारोद नदी के पुल पर नहीं सुनेगा तो कल मैं पुलेसुरात अर्थात् वैतरणी नदी पर तेरा पल्ला पकड़ूँगी और वहाँ जब तक अपना इन्साफ़ नहीं करालूँगी तब तक तुझ को उस पुल पर उतरने नहीं दूँगी। अब तू ख़ूब सोचकर जवाब दे कि मेरा इन्साफ़ तू इन दोनों पुलों में से किस पुल के ऊपर करेगा। सुलतान यह सुनते ही घोड़े से उतर पड़ा और कांपता हुआ बुढ़िया से बोला कि उस पुल के ऊपर जवाब देने की ताक़त मुझमें नहीं है, तू अपना हाल कह। मैं तेरा इन्साफ़ इसी पुल पर कर दूँगा। बुढ़िया ने कहा, अय सुलतान! यही ग़ुलाम कि जिसने तेरे सामने मेरे मारने को कोड़ा उठाया था, मेरी गाय मार कर खा गया है। जिसके दूध से मेरा और मेरे बच्चों का गुज़ारा होता था। बादशाह ने उसी क्षण उस ग़ुलाम को मरवा डाला और एक गाय के बदले सत्तर गायें, कि जिनमें कोई भी अन्याय से नहीं ली गई थी, देकर बुढ़िया का राज़ीनामा लिया।

इन्साफ़ ५७

एक आदमी ने सुलतान महमूद गज़नवी के पास आकर कहा कि सुलतान का भानजा रोज़ रात को उसके घर आता है। और उसको मार कर बाहर निकाल देता है और उसकी स्त्री से कुकर्म करता है। सुलतान ने कहा कि अब आवे तो तुरन्त मुझे ख़बर देना और जो तू मुझ तक न पहुँच सके तो वह ज़ंजीर हिला देना जो अदालत के दरवाज़े पर लटकी हुई है। दैवयोग से वह अत्याचारी तीन दिन तक उसके घर नहीं आया; चौथे दिन आधी रात को आया और उसको निकाल कर घर में घुस गया तो उसने फ़ौरन अदालत में जाकर ज़ंजीर हिला दी, सुलतान उसी दम तलवार लेकर शाली रूमाल से मुँह छिपाये हुए महल से निकला और फ़रियादी के साथ हो गया। जब उसके घर में पहुँचा तब दोनों को सोता हुआ पाकर फ़रयादी से कहा कि चिराग़ गुल कर दे और फिर उस अन्यायी को एक डांट

बताई कि सोता क्या है ? उठ, सज़ा पाने का समय आ गया है। वह उठा और महमूद से लिपट गया। दोनों कुशतम पछाड़ा लड़ने लगे। निदान महमूद ने उसको ज़मीन पर गिरा दिया और तलवार से सिर काट कर फ़रियादी से कहा कि क्यों तू ने अपना इन्साफ़ पाया ? उसने कहा, हाँ, पाया। तब बादशाह ने कहा, अच्छा, एक प्याला पानी का ला। जब वह लाया और सुलतान पानी पीकर जाने लगा तब उसने अरज़ की कि चिराग़ ग़ुल कराने और पानी पीने का कारण भी कहते जाइए। सुलतान ने कहा, चिराग़ तो मैंने इस ख़याल से ग़ुल करा दिया था कि कहीं सम्बन्ध का मोह न्याय को न दबा दे और पानी यों पिया है कि जबसे मैंने यह बात सुनी थी ख़ुदा से यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इसका न्याय न करूँ खाना पीना मुझे हराम है। इस बात को तीन दिन हो गये थे और शरीर में कमज़ोरी बढ़गई थी इसलिए थोड़ा सा पानी तुझसे मँगा कर पिया और ख़ुदा का शुक्र किया कि यह न्याय क़यामत (प्रलयकाल) की कचहरी पर नहीं रहा। यहीं हो गया।

इन्साफ़ ५८

सुलतान महमूद ग़ज़नवी को इराक देश जीते हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि वहाँ के जङ्गल में सौदागरों का माल लुट गया और एक आदमी मारा गया। उसकी स्त्री सुलतान के पास रोती हुई आई। सुलतान ने कहा कि वह मुल्क बहुत दूर है और उसका बन्दोबस्त होना भी मुशकिल है। स्त्री ने कहा कि जब तुझसे दूर के मुल्कों का बन्दोबस्त नहीं हो सकता तब फिर तू क्यों इतनी दिग्विजय करता चला जाता है। सुलतान को यह सुन कर बड़ी लज्जा आई और उसने उसी समय जैसे हो सका उस स्त्री का राज़ीनामा लेकर अपनी लम्बी चौड़ी अमलदारी का ऐसा बंदोबस्त किया कि रास्ता लुटना बंद हो गया।

इन्साफ़ ५९

अलाउद्दौला जब वज़ीर था तब उसने एक बुढ़िया का न्याय किया था। फिर जब फ़क़ीर हुआ तब चालीस वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक रात सपने में देखा कि ख़ुदा न्याय करने को बैठा है और सब लोगों के पाप और पुण्य तौल रहा है। इतने में हुक्म हुआ कि अलाउद्दौला की चालीस वर्ष

की तपस्या का पुण्य तो एक पलड़े में और बुढ़िया के न्याय का पुण्य दूसरे पलड़े में रख कर तौलो। जब तौला गया तब न्याय का पलड़ा भारी था। यह देख कर अलाउद्दौला की आँखें खुल गईं। तब वह पछता कर कहने लगा कि जो मैं यह बात पहले से जानता तो संसार को छोड़ कर कभी फ़क़ीर न होता। फ़क़ीरी में तो अपना ही भला होता है और दुनियादारी में बहुत लोगों का उपकार बन पड़ता है।

इन्साफ़ ६०

मुग़ूलिस्तान का बादशाह कीकरख़ाँ जो चङ्गेज़ख़ाँ के बेटे चकत्ताईख़ाँ के वंश में था, एक जङ्गल में घूम रहा था। उस समय कई हड्डियाँ उसके देखने में आईं। उसने कुछ देर तक जाँच करके अपने साथियों से कहा, तुम जानते हो ये हड्डियाँ मुझसे क्या कहती हैं? वे बोले कि इसको तो बादशाह ही ठीक जानते हैं। तब कहा कि ये मुझसे न्याय चाहती हैं। इन पर अन्याय हुआ है। उसी दम अमीर हज़ारा को कि जिसके अधीन वह देश था, बुला कर उन हड्डियों का हाल पूछा तो उसने अमीर सदा से जो उस भूमि का हाकिम था, निर्णय किया। निदान बहुत सी पूछताछ के पीछे यह निश्चय हुआ कि नौ वर्ष पहले यहाँ कई व्यापारी उतरे थे। कुछ लुटेरे उनको मार कर माल लूट ले गये। बादशाह ने पता लगाया तो जो कुछ माल उस लूट का लुटेरों के पास मिला वह तो खुरासान में उन व्यापारियों के लड़कों के पास भेजा और उन लुटेरों को दण्ड दिया।

इन्साफ़ ६१

दिल्ली के एक हीजड़े ने, जिसका नाम मीरमदारी था, अँगरेज़ी अमलदारी के होते ही एक काँरी लड़की मोल लेकर रण्डियों की रीति से पाली थी। पाँच, सात वर्ष पीछे उसका बाप, जो एक ग़रीब आदमी था, फ़क़ीरी भेष में वहाँ आ निकला और अपनी बेटी को पहचान कर सीटन साहिब के पास जा पुकारा। साहिब ने मीरमदारी को बुलाया। उसने कहा कि सरकारी क़ानून की तो मुझे ख़बर न थी, परन्तु लड़की ज़रूर मैंने एक फ़क़ीर से मोल ली है। वह भूखों मरता बेच गया है और फिर मैंने अब तक हज़ारों रुपये ख़र्च करके उसको नाचना-गाना सिखाया है। लड़की भी, जिसको मीर

मदारी के घर में पूरा आराम मिला था, अच्छा खाती और अच्छा पहनती थी। बाप को नङ्गा और भूखा देख कर बोली कि यह मेरा बाप नहीं है। झूठा दावा करता है। मेरा बाप तो फ़लाने महल्ले में रहता था। वह मेरी माँ के मर जाने पर मुझे इनको सोंप कर न जाने कहाँ चला गया था। साहिब ने गवाह माँगे तो बड़े बड़े आदमियों ने जिनके दिल मीरमदारी के बस में थे, गवाही दे दी कि यह लड़की सच कहती है। हम जानते हैं। परन्तु साहिब को तसल्ली न हुई। वह मिसल को बातों पर ख़तम करना नहीं चाहते थे और कहते थे कि यह बात समझ में नहीं आती है कि इस ग़रीब मुसाफ़िर ने ऐसे बड़े आदमी पर नाहक़ झूठी नालिश की हो। और रात दिन सोचते रहते कि कोई बात ऐसी निकल आवे कि यह ग़रीब अपने न्याय को भर पावे। निदान एक दिन उसको अपनी कोठी पर अकेला बुला कर पूछा कि इस लड़की का तुमने अपने घर में क्या नाम रक्खा था। उसने अरज़ किया कि हमारा रक्खा हुआ नाम तो ख़ातून है और इसी नाम से हम इसको पुकारते थे। अब मदारी ने सखी नाम रख लिया है। दूसरे दिन साहिब ने कचहरी करते हुए चपरासी को हुक्म दिया कि ख़ातून को तो पुकारो, ज्योंही चपरासी ने पुकारा तो यही सखी दौड़ कर साहब के पास जा खड़ी हुई। साहिब ने कहा तेरा तो नाम सखी है, तू ख़ातून के नाम से क्योंकर आई? इस पर वह कह बैठी कि साहिब मेरा नाम बचपन में ख़ातून ही था। साहिब ने उसी वक़्त उसको तो अलग बैठा दिया और एक एक गवाह को बुला बुलाकर पूछा कि सखी का नाम बचपन में क्या था और अब सखी कब से रक्खा गया? इस सवाल से मुक़द्दमा खुल गया। पहले तो कोई गवाह कुछ बोला और कोई कुछ। परन्तु अन्त में सच बोल गये। साहिब ने उनको झूठी गवाही देने की सज़ा दी और मदारी से पाँच हज़ार रुपया जुरमाना के लिये और लड़की लड़की के बाप को सौंप कर उन्हीं पाँच हज़ार रुपये से उसका निकाह उसकी जाति में करा दिया कि फिर और कोई उत्पात न उठे।

इन्साफ़ ६२

एक आदमी ने दिल्ली में कोडयापुल पर एक बटुवा अशरफ़ियों का पड़ा पाया। वह दो क़दम चला था कि एक अँगरेज़ घोड़ा दौड़ाता हुआ आया।

इसने घबरा कर वह बटुवा उसको दे दिया और कहा कि साहिब मुझको पड़ा मिला था। परन्तु वह अँगरेज़ उसको कोतवाली में पकड़ ले गया और बोला कि इस बटुवे में हमारी १२५ अशरफ़ियाँ थीं। अब सौ तो हैं और पचीस इसने निकाल लीं। कोतवाल उसको तामसन साहब के पास ले गया। तामसन साहब ने बटुवे को देखा और पचीस अशरफ़ियाँ मँगा कर उसमें डालीं तो पाँच से ज़ियादा न आ सकीं। तब साहिब ने गिरह लगा कर उस अँगरेज़ से कहा कि बेशक तुम्हारा बटुवा गिरा, मगर वह और होगा। इस बटुवे में गुन्जाइश ज़ियादा अशरफ़ियों की नहीं है। तुम अपने बटुवे की तलाश करो। हम भी तलाश करायँगे। मिल गया तो तुम्हारे पास पहुँचा दें गे। यह बटुआ तो इस आदमी को ख़ुदा की तर्फ़ से मिला है। यह कह कर उस आदमी को दे दिया और कहा कि पाँच अशरफ़ियाँ हम अपने पास से तुमको ईमानदारी के इनाम में देते हैं।

इन्साफ़ ६३

संवत् १६१४ के ग़दर के पीछे गाँव घूगराघाटी से दो गूजरियाँ दही बेचने अजमेर में आती थीं। रास्ते में एक गूजरी पानी पीने को बावड़ी में उतरी। दूसरी ने पीछे से जाकर उसकी हँसली उतार ली और उसे बावड़ी में ढकेल कर डुबो दिया। दो तीन दिन पीछे उसकी लाश बावड़ी में तिरने लगी। थानेदार ने खोज लगाया तो सिवा इसके और कुछ पता न चला कि कुछ लोगों ने उन दोनों गूजरियों को साथ साथ जाते हुए रास्ते में देखा था। उस गूजरी को इसके डुबोने से बिल्कुल इनकार था। जरनल जारज लारनिस साहब उस समय अजमेर के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। जब यह मुक़दमा उनके पास पहुँचा तब उन्होंने गाँव घूगरा में जा कर उस गूजरी का घर देखा और चूल्हे के पास खोदने का हुक्म दिया तो ज़मीन में से वह हँसली गड़ी हुई मिली। लोगों ने पहिचान ली कि यह उसी गूजरी की है, जिसकी लाश बावड़ी से निकली थी। जब इस गूजरी से पूछा गया कि यह हँसली तेरे पास कहाँ से आई तब कुछ सबूत अपनी सफ़ाई का न दे सकी और अन्त में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब उसको फाँसी दी गई। और इस इन्साफ़ से लारनस साहब का नाम ज़िले भर में हो गया। गँवार लोगों का क़ायदा है कि वे रुपया और गहना विशेष करके

चूल्हे के पास गाड़ा करते हैं और इसी बात की जानकारी से लारनस साहब ने यह न्याय किया था।

इन्साफ़ ६४

एक आदमी ने बादशाह के पास जाकर अरज़ की कि एक पुरुष मेरे घर में आया करता है। मैं उसके पकड़ने का बहुत ही कुछ उपाय करता हूँ परन्तु हाथ नहीं आता। बादशाह ने उसको एक शीशी अतर की दी और कहा कि अपनी स्त्री को देकर कह देना कि यह किसी को मत देना। उसने ऐसा ही किया और बादशाह ने हलकारों से कह दिया कि उसके घर के आस पास बैठे रहें और जिसके कपड़ों से अतर की सुगन्ध आवे पकड़ लावें। निदान एक दिन वही आदमी अवसर पाकर उसके घर में गया। औरत ने वह अतर उसके कपड़ों में लगाया और कहा कि ख़ाविंद ने तो मने कर दिया है कि किसी को मत देना मगर जो तेरे काम न आवे तो मेरे किस काम का है। वह हरीफ़ ज्योंही बाहर निकला त्योंही हलकारे उसको पकड़ कर बादशाह के पास ले गये। बादशाह ने फ़रियादी को बुलाकर कहा कि यह तेरा चोर हाज़िर है। चाहे तो मारडाल और चाहे बख़्श दे।

इन्साफ़ ६५

एक आदमी १०००) रु० की थैली जिस पर मुहर लगी हुई थी, क़ाज़ी को सौंप गया था। जब आया तो क़ाज़ी ने वैसीही मुहर लगी हुई थैली उसको दे दी। उसने खोली तो उसके अंदर से पैसे निकले। क़ाज़ी से कहा तो उसने जवाब दिया कि तू ने मुझको कब दिखलाकर रुपये रक्खे थे। जैसी मुहर लगी हुई थैली तू मुझको सौंप गया था वैसी ही तूने ले ली तब वह बादशाह के पास गया। बाहशाह ने कहा, अभी तो तू जा और थैली मेरे पास रहने दे। मैं तेरा इन्साफ़ कर दूँगा। दूसरे दिन बादशाह अपनी नई गद्दी का कोना फाड़ कर शिकार को चला गया। फर्राश ने जो यह हाल देखा तो उसके होश उड़ गये और उसने दूसरे फ़र्राश को दिखलाकर कहा कि जो बादशाह देख लेगा तो मुझको मरवा डालेगा। उसने पूँछा कि तूने और भी किसी से यह हाल कहा है या नहीं। उसने कहा किसी से नहीं कहा। फिर पूछा किसी ने गद्दी देखी है। कहा, नहीं देखी। उसने कहा तो तू मत घबरा। इस शहर में एक रफ़ूगर

बहुत बड़ा उस्ताद है तू गद्दी को उसके पास लेजा वह ऐसी बेमालूम रफ़ू कर देगा कि कोई पहिचानेगा भी नहीं। फ़र्राश गद्दी को उसके पास ले गया और एक अशरफ़ी देकर रफ़ू करा लाया और तख्त पर बिछा दी। बादशाह ने शिकार से आकर पूछा कि यह गद्दी किसने रफ़ू की। फ़र्राश घबराने लगा। बादशाह ने कहा, घबरावे मत। इसको तो मैंने ही एक मतलब के वास्ते फाड़ा था। तब तो फ़र्राश ने रफ़ूगर का पता बता दिया। बादशाह ने उसको बुलाकर पूछा, क्या तूने इस गद्दी की तरह कभी कोई थैली भी रफ़ू की है। उसने कहा, हाँ, फिर पूछा कि क्या तू उस थैली को पहिचान लेगा। कहा, हाँ। बादशाह ने वह थैली उसको बताई तो उसने पहचान ली और कहा, यह तो क़ाज़ीजी ने मुझको रफ़ू करने के लिए दी थी। बादशाह ने क़ाज़ी को बुलाकर कहा, मुझको तेरी ईमानदारी का बड़ा भरोसा था और इसीलिए क़ाज़ी का ओहदा तुझको दिया था। मैं नहीं जानता था कि तू चोर है। भला इस भले आदमी का माल तूने क्यों चुरा लिया है। क़ाज़ी ने कहा, ख़ुदावन्द कौन कहता है। उसने कहा, मैं कहता हूँ। फिर वह थैली दिखलाई और रफ़ूगर का नाम बताया। क़ाज़ी शरमिंदा हो गया। बादशाह ने उसको क़ैद करके मुद्दई से कहा कि तू अपना माल क़ाज़ी से लेले। क़ाज़ी ने लाचार होकर रुपये दे दिये। दूसरे दिन बादशाह ने क़ाज़ी को सूली पर चढ़ा दिया।

इन्साफ़ ६६

एक मुसाफ़िर ने किसी के पास अमानत रखकर पीछे माँगी तो वह नट गया। वे दोनों झगड़ते हुए बादशाह के पास गये। बादशाह ने दो बड़े वृक्ष जो शहर के बाहर दूर थे, पोले करा कर उनमें दो आदमी बैठा दिये और मुद्दई, मुद्दायले से कहा कि अलग अलग अँधेरी रात में फलाने फलाने पेड़ों के पास जाओ और सौगंद खाकर उनके पत्ते ले आओ। जो झूठा होगा उसको दो दिन में सज़ा मिल जावेगी। उनमें से झूठा आदमी तो सौगंध खाये बिना पत्ते ले आया और सच्चा सौगंद खाकर लाया। उन आदमियों ने यह ख़बरें पहुँचाई। बादशाह ने सौगंद खाने वाले को सच्चा जानकर अमानत दिलवादी।

इन्साफ़ ६७

दो आदमी बादशाह के हज़ूर में फ़रयादी गये। बादशाह ने यह बात ठहराई कि दोनों रात को अलग अलग जाकर पहले फलाँ पेड़ से बाँह पसार

कर मिलें और फिर उसके पत्ते ले आवें। झूठा तो बिना मिले ही पत्ते तोड़ लाया और सच्चा मिल कर लाया। क्योंकि उसके बदन से हींग की वास आती थी। जो बादशाह ने इसी जाँच के लिए उस पेड़ से मलवा दी थी। इससे सच्चे झूठे की जाँच हो गई।

इन्साफ़ ६८

एक साहूकार मर गया। उसका कर्ज़ बहुत लोगों पर आता था। उसकी स्त्री ने किसी आदमी से कहा कि तुम मेरा करज़ा उघा लो। उसमें से जो तुम्हारे जी में आवे वह मुझे दे देना। उसने वह करज़ा उघा कर नौ हिस्से तो आप ले लिये और दसवाँ हिस्सा उस स्त्री को दिया। वह बादशाह के पास पुकारू गई। बादशाह ने उस आदमी को बुलाकर सब रुपये मँगा लिये और उनके दो ढेर किये। एक तो नौ हिस्से का और एक एक हिस्से का। फिर उससे कहा कि जो तेरे दिल में आवे वह ढेर उठा ले। उसने नौ हिस्से का ढेर उठाया और कहा कि मेरे दिल में तो यह आया। बादशाह ने हुक्म दिया कि यह ढेर इस स्त्री को दे दे क्योंकि यह बात ठहर चुकी थी कि जो तेरे दिल में आवेगा वही उस को दिया जावेगा। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था इसलिए उसने नौ हिस्से उस स्त्री को दे दिये।

इन्साफ़ ६९

बादशाही समय में एक मुसलमान अमीर एक साहूकार की बेटी पर आशिक़ हो गया और उसको अपने पास बुलाने लगा। परन्तु वह उसके जाल में न फँसी, तब उसने किसी तरकीब से शराब की बोतल और कुछ मांस-उसके कमरे में रखवा कर यह मशहूर कर दिया कि फलाँ साहूकार की बेटी मुझ से खाती पीती है और ख़ूब शराब गोश्त उड़ाती है। इस बात का साहूकार की बिरादरी में बड़ा चरचा हुआ और जब लोगों ने उसकी बेटी के कमरे में से वह शराब और गोश्त निकाला तो साहूकार को मुँह दिखलाने की जगह न रही। मगर उसकी बेटी ने कहा कि यह सब जाल-साज़ी है और मुझको नाहक़ बदनाम किया है। मैं इस बात को जानती भी नहीं हूँ। इस पर उस अमीर ने बहुत सा फ़ितूर उठाया और कहा कि पहले तो मैं रात को छिप कर इस साहूकार के घर में आया करता था। अब दिन

में आऊँगा और उस हरामज़ादी को पकड़ ले जाऊँगा। यह बातें सुनकर साहूकार के होश उड़ गये और वह बादशाह के पास फ़रियादी गया और सारा हाल कहा। बादशाह ने अमीर को बुलवा कर पूछा तो उसने कहा, बहुत वर्षों से वह औरत मुझसे ख़राब हो चुकी है। औरत से पूछा तो वह बोली कि मैं इसको जानती भी नहीं हूँ कि कौन है और शराब, गोश्त जो मेरे मकान से निकला वह शायद इसने किसी तरकीब से रखवा दिया होगा। बादशाह ने साहूकार से कहा कि अब तो दिन थोड़ा रह गया कल जैसा होगा वैसा इन्साफ़ कर दूँगा। फिर उन दोनों को अलग अलग दो पिंजरों के अन्दर बन्द करके एक सूने मकान में इतने फ़र्क़ से रक्खा कि आपस में बात चीत कर सकें और चारों कोनों में चार ख़ुफ़ियानवीसों को बैठा कर हुक्म दिया कि रात के पहले पहर में जो कुछ ये बातें करें उसको एक ख़ुफ़ियानवीस लिख कर मेरे पास लावे और दूसरे पहर की बात चीत को दूसरा ख़ुफ़ियानवीस आधी रात को पहुँचावे। उसके पीछे तीसरा ख़ुफ़ियानवीस जो कुछ सुने वह पिछली रात को दे जावे और सवेरा होने तक की बातें चौथा लेकर आवे। जब रात हुई और अमीर ने किसी को आस पास न देखा तब उस स्त्री से कहा कि देख, मैं कितने दिनों से तुझ पर मरता हूँ, परन्तु तेरे मन में ज़रा भी दया नहीं आती। मैं भी आख़िर एक बड़ा आदमी हूँ और हर तरह तेरा प्यार कर सकता हूँ। उसने कहा, यह तो सब सच है, पर तुम भी ख़ूब जाँच चुके हो कि मैं अपने सत्य और शील में बट्टा लगाना नहीं चाहती। स्त्री का कुशल और कल्याण इस लोक और पर-लोक में केवल सत्यवती होने से ही है। तुम्हारे वास्ते भी अब यही अच्छा और भला है कि इस अनहोनी बात को छोड़ दो। एक सती और पतिव्रता अबला को वृथा बदनाम न करो। यह सुनकर वह अमीर चुप हो रहा। इतने में पहर बज गया और बादशाही हुक्म के अनुसार पहला मुख़बिर वह रिपोर्ट ले कर बादशाह के पास गया। बादशाह ने रिपोर्ट अपने पास रख ली और उसको घर जाने की आज्ञा दी। कुछ समय पीछे अमीर फिर बोला कि ऐ साहूकार की बेटी! अब तू ज़रा अपने हाल पर निगाह करके देख कि शहर में तेरी कितनी बदनामी हो चुकी है। तू अपनी जाति-बिरादरी से तो जा ही चुकी है और अब जो मेरा कहना नहीं मानेगी तो इधर से भी जाती रहेगी।

मेरा नुक़सान तो न कुछ अब है और न फिर होगा। यह मैं तेरे ही भले की कहता हूँ। मगर फिर मैं भी तेरा साथी न होऊँगा। उसने कहा, मेरी बदनामी तुमने ही की है, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया है। बिरादरीवाले जो निर्णय करेंगे तो मुझ से माफ़ी माँगेंगे और जो यों ही तुम्हारा कहा चल ज़ावेगा तो ख़ैर जो कुछ क़िस्मत में लिखा है मैं भर भुगतूँगी। पर तुम्हारे कहने में आकर तो कभी अपना मुँह यहाँ और वहाँ काला नहीं करूँगी। इन बातों में जब आधी रात आ गई तो उस पहर भर की रिपोर्ट लेकर दूसरा मुख़बिर बादशाह के पास गया। अब तीसरा मुख़बिर कान लगाये हुए था कि कुछ देर पीछे अमीर ने फिर कहा कि क्यों साहूकारज़ादी! जो तुझ को मेरी कोई भी बात मंज़ूर नहीं है तो ख़ैर, तू जान। अभी तो यहाँ तक ही नौबत पहुँची है कि बादशाह ने हम तुम दोनों को क़ैद कर दिया है मगर आगे को न मालूम क्या हो। तेरे पीछे मेरी भी आबरू गई और वह बेइज्ज़ती हुई कि तोबा ही भली। बाप दादा का नाम ख़ाक में मिल गया, क़ैद होने से सारी शेख़ी झड़ गई, तो भी तुझे इसकी कुछ परवा नहीं है और इश्क़ में सिवा इन बातों के और धरा ही क्या है। मगर तू जो अब भी मेरे हाल पर रहम करे और मेरे मरने जीने की साथी हो जावे तो मैं इस तमाम बेइज्ज़ती को ऐन अपनी इज्ज़त समझूँ। साहूकारज़ादी ने जवाब दिया कि मियाँ, यह सब तुम्हारे कौतुकों से हुआ। तुमने नासमझी से मुझको भी बदनाम किया और आप भी बेइज्ज़त हुए। मैंने तो ओखली में सिर रख लिया है। अब चोटों का क्या डर है? बला से जो हो सो हो; बन्दी तो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। चाहे जान ही क्यों न चली जावें। आख़िर मरना है। मगर बे आबरू होकर मरना पसन्द नहीं। तुम चाहे इस कान सुनो, चाहे उस कान सुनो। मैं तुम्हारे कहने में न आज आऊँगी; न कल आऊँगी। तुम कभी इस बात की अपने दिल में उम्मेद न रखना। इन बातों में रात ढल गई और पहर का तड़का हो गया। अब तीसरा ख़ुफ़ियानवीस भी अपना अख़बार लेकर वहाँ से चलता हुआ और चौथे ने कान लगाया। जब सुबह होने लगी तब अमीर ने कहा, सुनती है, साहूकारबच्ची! अब तेरी जान की ख़ैर नहीं है। मैंने तो बहुत चाहा कि तू सीधी तरह से रास्ते पर आ जावे। मगर तू एक बद ज़ात रंडी है। यों कब मानने वाली है। तेरा दिल तो वह पत्थर है कि उसमें

रहम की बू वास ही नहीं, इधर मैं भी हठ का पूरा हूँ। जब तूने मुझको यहाँ तक ख़्वार किया है तो मैं भी अब सब्र नहीं करूँगा और कल ही तुझ को मुसलमान करके अपनी लौंडी बना लूँगा। देखें उस वक़्त कौन तेरी हिमायत करता है। साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हारा बस चले तो तुम चाहे मुझको जान से मार डालना। मगर मैं तो कभी मुसलमान न होऊँगी और तुम्हारे घर में रहना मंज़ूर नहीं करूँगी। अव्वल तो बादशाह इन्साफ़ करेगा ही और जो कदाचित् नहीं किया तो मैं ख़ुद अपनी जान दे दूँगी। इन बातों में सवेरा हो गया और चौथा मुख़बिर भी बादशाह के पास ख़बर का परचा लेकर पहुँचा। बादशाह ने उन चारों रिपोर्टों को देखकर यह नतीजा निकाला कि औरत बिलकुल बे क़सूर है और उस पर नाहक़ ज़ुल्म होता है। उसने उसी वक़्त साहूकार को बुलवा कर कहा कि तेरी बेटी ख़राब नहीं हुई है और उसकी तमाम बिरादरी को जमा करके वे सब काग़ज़ पढ़ाये और उनकी राय ली तो सभी ने अरज़ की कि जब औरत की सचाई ख़ुद मुद्दालेह के बयान से होती है तो फिर कोई वजह नहीं है कि जो वह बिरादरी से ख़ारिज हो सके। इस पर बादशाह ने उनसे इक़रारनामा लिखवा लिया और फिर उनको रुख़सत करके अमीर को बुलवाया और वे फ़रदें जो असल में उसके इजहार थे उसको दिखलाईं और जवाब पूछा तो वह कुछ न कह सका। बादशाह ने ख़फ़ा होकर उसको शहर से निकाल दिया। उसका घर लूट लिया और औरत को सच्ची करके गाजे-बाजे से उसके घर पहुँचा दिया।

इन्साफ़ ७०

सुना है कि एक बादशाह ने तख़्त पर बैठने के पीछे हुक्म दिया था कि हम कल अदालत में बैठेंगे। जिसको इन्साफ़ कराना हो वह अर्ज़ी लेकर आ जावे। दूसरे दिन सैकड़ों आदमी अर्ज़ियाँ ले लेकर आ मौजूद हुए। सबसे पहले एक लुहार की अरज़ी पढ़ी गई। उसमें लिखा था कि अगले बादशाह ने उसकी लुगाई ज़बरदस्ती छीन ली थी वह मिलनी चाहिए। बादशाह ने सबूत माँगा तो लुहार ने अरज़ की कि यह सब अमीर, वज़ीर गवाह हैं। बादशाह ने पूछा तो लाचार होकर उनको कहना पड़ा कि इस इन्साफ़ में तो हज़रत बेगम साहब की निस्बत गुस्ताख़ी होती है। बादशाह

ने कहा, कुछ परवा नहीं और लुहार से फ़रमाया कि तू अपने घर जा; तेरा इन्साफ़ हो जावेगा। दूसरे फ़रियादी भी कल हाज़िर हों और फिर उसने कुछ देर सोच कर हुक्म दिया कि वालिदा साहिबा को मेरे पास लाने के बहाने से पालकी में बैठा कर ले जावें और अकेली लुहार के घर छोड़ आवें। जब इस हुक्म की तामील हुई तो बेगम को बड़ी हैरत थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। आख़िर उसने बहुत मुशकिल से अपने क़दीमी घर और असली ख़ाविन्द को पहचाना। इधर लुहार डर कर बादशाह के पास गया और बोला, मैंने इन्साफ़ भर पाया। आप अपनी वाल्दा साहिबा को बुलवा लें। मगर बादशाह ने मंज़ूर नहीं किया और अपनी माँ के वास्ते उसी लुहार के पास एक उम्दा मकान बनवा दिया और कहा कि मेरे नज़दीक मुन्सफ़ी के साथ माँ से अलग रहना। फ़रियादी की फ़रियाद न सुनने और जो ज़ुल्म एक मुद्दत से होता आया है उसको जारी रखने से हज़ार दरजे बेहतर है। दूसरे लोगों ने जो यह इन्साफ़ देखा तो अपने मुक़द्दमों का आपस में फ़ैसला कर लिया।

इन्साफ़ ७१

किसी आदमी की अशरफ़ियों की एक थैली घर में से खोगई। क़ाज़ी ने घर के सब आदमियों को बुलाया और एक एक को एक एक लकड़ी दी और कहा, जो चोर होगा उसकी लकड़ी एक अंगुल बढ़ जावेगी। चोर इस बात से डरा और उसने अपनी लकड़ी एक अंगुल काट डाली। दूसरे दिन जो क़ाज़ी ने सबको बुलाकर लकड़ियाँ देखीं तो जिसकी लकड़ी कम हो गई थी उससे वह थैली ली और उसको सज़ा भी दी।

इन्साफ़ ७२

एक जुलाहे की जोरू ख़ूबसूरत थी। एक मोलवी साहिब ने उससे कहा कि यह तो मेरी जोरू है तेरी कहां से आई। तब दोनों क़ाज़ी के पास गये और औरत को भी ले गये। क़ाज़ी ने औरत से कहा कि मैं अभी इन्साफ़ करदूँगा। तू पानी तो इस दवात में डाल ला। औरत गई और मुँह तक दवात में पानी भर लाई। क़ाज़ी ने कहा कि यह औरत तो जुलाहे की ही है इस बेचारी को दवात में पानी डालने का काम काहे को पड़ा था। अगर मोलवी साहब की

जोरू होती तो दवात में पानी अन्दाज़े से डालकर लाती और जुलाहे से कहा कि तू अपनी जोरू को लेजा। मोलवी साहिब को बकने दे।

इन्साफ़ ७३

दो आदमी एक बुढ़िया के पास अमानत रख गये थे और कह गये थे कि दोनों ही आकर ले जावेंगे। कुछ वर्षों पीछे एक उनमें से लेने को आया। बुढ़िया ने दूसरे के वास्ते पूछा तो कहा कि मर गया। तब बुढ़िया ने वह अमानत उसको देदी। कई दिन पीछे दूसरा भी आया। बुढ़िया ने उससे सच सच हाल कह दिया। परन्तु उसने न माना और बुढ़िया को पकड़ कर क़ाज़ी के पास ले गया और कहा, हम दो आदमी इसके पास माल रख गये थे और कह गये थे कि दोनों आवें तब देना। इसने एक को क्यों दे दिया? क़ाज़ी ने बुढ़िया को बेक़सूर देख कर कहा कि अच्छा तू शर्त के बमूजिब दूसरे आदमी को लेआ। हम इससे माल वापस दिला देंगे इस पर वह ला जवाब होकर चला गया और बुढ़िया का पीछा छूट गया।

इन्साफ़ ७४

एक आदमी ने १०००) रु० एक सर्राफ़ के पास रक्खे थे। पर जब पीछे माँगे तो वह नट गया। उसने क़ाज़ी से जाकर पुकार की। क़ाज़ी ने सर्राफ़ को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हारी ईमान्दारी और सचावट की बड़ी तारीफ़ सुनी है और चाहता हूँ कि तुमको अदालत का नायब बनाऊँ। सर्राफ़ यह सुनकर ख़ुश हो गया। दूसरे दिन उस आदमी ने क़ाज़ी के इशारे से सर्राफ़ के पास जाकर कहा कि आज आप मेरी अमानत दे दीजिए नहीं तो मैं क़ाज़ी के पास जाता हूँ। सर्राफ़ ने देखा कि जो यह क़ाज़ी के पास गया तो अदालत की नायबी मुफ़्त में जाती रहेगी। फ़ौरन उसको रुपये दे दिये और कहा कि यह रक़म कल बही-खाते में निकल आई थी परन्तु तुम किसी से बात मत करना। फिर जो सर्राफ़ नायबी की उम्मेद में क़ाज़ी के पास गया तो क़ाज़ी ने कहा कि अभी कुछ देर है, वक़्त पर मैं आपको सवारी भेजकर बुला लूँगा।

इन्साफ़ ७५

एक जवान ने क़ाज़ी से फ़रियाद की कि मैंने एक सौ अशरफ़ियाँ एक बुड्ढे को सौंपी थीं अब वह देता नहीं है। क़ाज़ी ने उस बुड्ढे को बुलाकर

पूछा तो वह नट गया। क़ाज़ी ने जवान से पूछा कि तेरा कोई गवाह है। उसने कहा, कोई नहीं। तव क़ाज़ी ने बुड्ढे से कहा कि तू क़सम खा, क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि नटने वाले से क़सम ली जावे। जवान ने कहा कि मुझे इसकी क़सम का भरोसा नहीं है। क़ाज़ी ने कहा, फिर तू कुछ सबूत बता। जवान ने कहा, सबूत क्या बताऊँ। मैंने जब इसको अशर्फ़ियाँ दी थीं तब तीसरा तो कोई मौजूद न था और यह एक पेड़ के तले बैठा था। क़ाज़ी ने कहा, फिर तू कैसे कहता है कि मेरा कोई गवाह नहीं। तेरा तो बड़ा गवाह है। तू जा उस पेड़ को लेआ। जवान ने कहा, हज़रत पेड़ क्योंकर आवेगा। क़ाज़ी ने कहा, तू मेरी मुहर लेजा और उसको दिखला कर कह कि तुझको क़ाज़ी ने बुलाया है। वह जवान मुहर लेकर पेड़ की तर्फ़ गया। जब कुछ देर हो गई तब क़ाज़ी ने बुड्ढे से पूछा कि वह उस पेड़ के पास पहुँच गया होगा या नहीं; क्योंकि मुझको और भी ज़रूरी काम करने हैं। बुड्ढे ने कहा, अभी तो वह रास्ते में होगा। क़ाज़ी चुप होरहा। कुछ देर बाद वह जवान आया और बोला कि आप का हुक्म तो उस पेड़ ने सुना भी नहीं। क़ाज़ी ने कहा, वह तो आप से आप आकर गवाही दे गया। बुड्ढा हैरान होकर बोला। क़ाज़ीजी मेरे रूबरू तो कोई पेड़ गवाही देने को नहीं आया। इतना झूठ बोलना क्या ज़रूर है। क़ाज़ी ने कहा, हाँ, पेड़ तो मेरे पास नहीं आया मगर उसने गवाही अलबत्ता दिला दी है। जो तू उस दरख़्त से वाकिफ़ नहीं था तो कैसे बोल उठा कि अभी तो वह रास्ते में ही होगा। अब तेरी इसी में ख़ैरियत है कि इसकी अमानत देदे निदान उसने शरमिंदा होकर वह अमानत देदी।

इन्साफ़ ७६

एक आदमी ने हाकिम से पुकार की कि मैं एक गन्धी के पास अपना रुपया अमानत रख कर सफ़र को गया था। अब जो आकर माँगा तो गंधी साफ़ नट गया। हाकिम ने कहा, तीन दिन तक उसकी दुकान पर बैठना। चौथे दिन मैं आऊँगा और अपनी सवारी ठहरा कर तुझसे कुछ पूछूँगा। तू गर्दन हिला कर चुप हो जाना। उसने वैसा ही किया। चौथे दिन हाकिम की सवारी बड़े धूम से आई। यह गंधी की दुकान पर बैठा हुआ था। हाकिम ने इसको देख कर घोड़ा ठहरा दिया और इसे पुकार कर कहा, क्यों भाई, तू मेरे पास बहुत दिनों से नहीं आया और न कुछ अपना हाल कहा।

इसने यह सुनकर सिर हिला दिया। हाकिम चला गया। दो घड़ी बाद इसने गंधी से फिर कहा कि भाई, देखो हमारी अमानत दे दो तो अच्छा है। गंधी हाकिम को उस पर इतना मेहरबान देख कर डर गया था। कुछ देर तक उस अमानत की बाबत पूछताछ करके निदान रुपये उसको दे दिये।

इन्साफ़ ७७

एक आदमी ने नाई से कहा कि तू हमारी हजामत बना दे। तुझको कुछ दे देंगे। हज़ामत के पीछे जब दो पैसे देने लगा तो नाई ने कहा, मैं तो कुछ लूँगा। और वह किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होता था। यही कहे जाता था कि मैं तो कुछ ही लूँगा। उस आदमी का नाक में दम आ गया। हज़ा-मत क्या बनवाई, नाई से पीछा छुड़ाना मुशकिल हुआ। होते होते कोत-वाल तक पुकार पहुँची। वहाँ से हाकिम के पास गई। हाकिम अक़लमन्द था। उसने नाई को अलग बैठा कर कुछ अरीठे मँगाये और उनके झाग निकलवा कर, बोतल में भरे और बोतल एक कोठड़ी में रख कर नाई को बुलवाया और कहा कि मेरे बाल उलझ रहे हैं। तू इस कोठड़ी में जाकर काँच कंघा तो ले आ, बाल सुलझा कर तेरा इन्साफ़ कर दूँगा। नाई जो अन्दर जाने लगा तो उसको पहले वही बोतल नज़र पड़ी, वह उसके मुँह से झाग निकलते हुए देख कर डर गया और तुरन्त लौट आया। हाकिम ने कहा कोठरी में क्यों नहीं गया? बोला, कोठरी में तो कुछ है। हाकिम ने कहा, वह कुछ तू ले ले और इस भले आदमी का पीछा छोड़ दे। नाई ख़ुशी से वह बोतल उठा ले गया।

इन्साफ़ ७८

मारवाड़ के गाँव तलवाड़े के मेले में से एक बेर किसी दुकानदार के चोरी हो गई। हाकिम ने आकर देखा तो चोर पीछे से उसकी छोलदारी में घुसा था और उसने एक हाथ ज़मीन पर टेक कर दूसरे हाथ से चोरी की थी। वह हाथ का चिह्न तो अन्दर बना रहा था और बाहर के खोज रेती और आदमियों के आने जाने से मिट गये थे। हाकिम ने खोजी से कहा कि इस चोरी और चोर का पता लगाना चाहिए। उसने कहा कि चोर तो पाँव

की खोज से पकड़ा जाता है, हाथ के चिह्न से नहीं। परन्तु आपकी जब ऐसी ही मर्ज़ी है तो हुक्म दे दीजिए कि तमाम आटा दाल बेचनेवाले बनिये इधर उधर से उठ कर एक जगह दुकान लगावें। जब सब बाज़ार एक जगह हो गया तो सब लोग सौदा सुलफ़ के लिए वहीं आने लगे। अब यह एक आदत की बात है कि जब आदमी आटा लेता है तब उसको हथेली से थाली व ग़ैरह में जमा दिया करता है कि हवा से उड़ने न पावें। वह खोजी रात दिन बनियों की दुकानों पर आटा लेनेवालों की हथेलियों का चिह्न भांपता फिरता था। निदान एक दिन उसने इस तरकीब से चोर का हाथ पहिचाना और उसको पकड़ ले गया। हाकिम ने छोलदारी के चिह्न को इसको हाथ के चिह्न से मिलाया तो मिल गया, इस पर उसको डराया, धमकाया तो उसने चोरी उगल दी।

इन्साफ़ ७९

किसी अमीर की दो जड़ाऊ अँगूठियां चोरी गई थीं। उसको एक नौकर का भ्रम था। जब उसको कोतवाली में पकड़ ले गये तब कोतवाल ने नरमी से पूछताछ की और उसकी छड़ी बातों बातों में ले ली। इतने ही में दूसरा झगड़ा आ गया तो उससे कहा कि तुम ज़रा देर सामने के मकान में जा बैठो। मैं यह टंटा तोड़ कर तुम्हारा न्याय कर दूँगा। वह वहाँ जा बैठा और जाते समय मारे लिहाज़ के वह छड़ी कोतवाल से न माँग सका। कोतवाल ने क्या काम किया कि उधर तो एक पहरेवाले को उसके पास बैठा दिया और इधर दूसरे सिपाही को वह छड़ी देकर उसके घर भेजा। और कहा कि वहाँ जाकर इसकी जोरू से कहना कि तुम्हारे ख़ाविन्द ने वे कलवाली दोनों अँगूठियाँ मँगवाई हैं। और यह छड़ी निशानी के वास्ते दी है। स्त्री ने वह छड़ी देखते ही सिपाही का कहना मान लिया और तुरन्त वे अँगूठियाँ उसको सौंप दीं। कोतवाल ने इस तौर से बात की बात में चोरी निकलवा ली और मुद्दई को दे दी।

इन्साफ़ ८०

दिल्ली की जुम्मा मसजिद में एक दिन एक नमाज़ी को काग़ज़ की पुड़िया पड़ी हुई मिली। खोली तो उसमें सत्तरह अशरफ़ियाँ थीं। उस भले

आदमी ने पुकार कर कहा कि यह किस की अशरफ़ियाँ गिर पड़ी हैं। एक आदमी आया और बोला कि मेरी हैं। उसने वह पुड़िया वैसी की वैसी ही उसको दे दी। उसने खोल कर अशरफ़ियाँ गिनीं तो कहा कि एक अशरफ़ी कम है, वह लाइए। नमाज़ी को वही मसल हुई कि "नेकी का बदला बदी। करे धर्म छूटे कर्म।" बेचारे ने बहुत क़समें खाईं, बहुत कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया है। पर उसने तो एक न माना। उसको साहब ज़िले के पास ले गया। साहिब ने एक अशरफ़ी अपनी जेब से निकाल कर दी कि ले यह अशरफ़ी डाल कर पुड़िया तो बाँध दे। उसने जो पुड़िया बाँधी तो उसके सल बराबर न बैठे। अँगरेज़ ने कहा, तू झूठा है। और वह पुड़िया उससे लेकर अपनी अशरफ़ी तो निकाल ली और बाक़ी अशरफ़ियाँ उस नमाज़ी को देकर कहा कि जा तुझको ख़ुदा ने ही दी हैं। खा और ख़र्च कर, यह पुड़िया इसकी नहीं है।

इन्साफ़ ८१

एक व्यौपारी मरते समय अपने जवाहरात का डिब्बा किसी भलेमानस को देकर कह मरा था कि मेरे बेटों को दे देना। उसने वह उसके बेटों को दे दिया। उन्होंने खोला तो उसमें सच्चे और झूठे जवाहरात थे। इससे उनको यह भ्रम हुआ कि सच्चे निकाल कर यह झूठे मिला दिये हैं। उससे पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने जैसी मोहर और ताला लगा हुआ बटुआ मुझको सौंपा था वैसा ही मैंने तुमको दे दिया। यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते किसी अँगरेज़ हाकिम के पास पहुँचा। व्यौपारी के बेटे कहते थे कि हमारा बाप बड़ा सेठ था, वह झूठे जवाहरात क्यों रखने लगा था। जवाहर सब सच्चे थे। ये झूठे जवाहर इसने पीछे से डाल कर उतने ही सच्चे जवाहर निकाल लिये। यह बात किसी के भी समझ में न आती थी कि ये झूठे जवाहर कैसे हैं। गवाह और सबूत कोई नहीं था। उस अँगरेज़ ने कई दिनों तक दिन रात इसमें विचार करके सच्चे और झूठे जवाहरात को तोला तो दोनों का तोल बराबर निकला। जब उसने कहा कि ये झूठे जवाहरात सेठ ने ही ऐंडे के वास्ते रक्खे हैं। इस भले आदमी ने कुछ नहीं मिलाया है। यह जो ऐसा करता तो तोल बराबर नहीं मिलती और जो पूरी तसल्ली हो जाने के वास्ते

सेठ का बहीखाता देखा तो एक जगह जवाहरात की तोल उतनी ही लिखी मिल गई और उससे अच्छी तरह उस भले आदमी का मुँह उजला हो गया* ।

* बाज़े लोग यों भी कहते हैं कि यह इन्साफ़ लखनऊ के नवाब सआदत अलीख़ां ने किया था और कुछ लोग मारवाड़ी महाराजा बख़्तसिंहजी का भी नाम लेते हैं ।

विशिष्ट नामों का संक्षिप्त विवरण

जिन राजाओं, बादशाहों और बड़े आदमियों के नाम इस किताब में आये हैं उनका संक्षिप्त वृत्तान्त पाठकों के जानने के लिए यहाँ लिखते हैं।

१ **अकबर बादशाह**——हिन्दुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस नेकनाम बादशाह का नाम न जानते हों। यह संवत् १५-९९ में जन्मे और संवत् १६१२ से १६६२ तक न्याय-नीति-पूर्वक राज्य करते रहे।

२ **अबदुलनबी**——अकबर बादशाह का सदर उलसदूर यानी बड़ा धर्माधिकारी था। पर अपने मज़हब का अभिमान और पक्ष उसको बहुत था जिससे बादशाह ने नाराज़ होकर पहले तो उसको निकाल दिया और फिर पकड़ कर जन्म भर क़ैद रक्खा।

३ **अमीरुल उमराहसन अलीखाँ**—फ़र्रुख़सियर बादशाह का सेनापति था। फिर आपस में नाराज़ी हो जाने से इसने बादशाह को मार डाला और इसको मुहम्मदशाह बादशाह ने संवत् १७७७ में मारा था।

४ **अलाउद्दौला**——ईरान का एक नेकनाम वज़ीर था।

५ **अली**—मुहम्मद पैग़म्बर के चचेरे भाई और जमाई थे। मुसलमानों में बड़े महात्मा हुए हैं। संवत् ७१८ में उनको एक मुसलमान ने नमाज़ पढ़ते हुए ज़ख़मी करके मार डाला।

६ **आद**——साम का बेटा और नूह पैग़म्बर का पोता था, जिसकी संतान बुरे काम करने से एक आँधी में नष्ट हो गई।

७ **आमिर**——मुहम्मद पैग़म्बर के बुज़ुर्गों में एक न्यायी और बुद्धिमान् सरदार हो गया है।

८ इमाम अबूहनीफ़ा—मुसलमानों के ४ इमामों में से कि जो मुसलमानी धर्मशास्त्र के आचार्य्य हुए हैं पहले इमाम ये थे। हिंदुस्तान के मुसलमान विशेष करके इनके मत पर चलते हैं। यह संवत् ७५७ में जन्मे थे और संवत् ८२५ में मरे।

९ इमाम मालिक—यह दूसरे इमाम थे। बहुत मुसलमान इनका भी मत मानते हैं। ये संवत् ८६५ में मरे।

१० उमर खलीफ़ा—मुहम्मद पैग़म्बर के चार यारों में से बड़े वीर और न्यायी ख़लीफ़ा हुए हैं उनके समय में मुसलमानी मज़हब दूर दूर फैला। ईरान और मिश्र के देश फ़तह हुए।

११ उर्बसी—राजा इन्द्र के अखाड़े की एक अप्सरा का नाम है।

१२ क़तलक़ख़ाँ—दिल्ली के बादशाह फ़ीरोज़ तुग़लक़ का बेटा था।

१३ क़ाज़ी—अबूयूसुफ़ इमाम अबूहनीफ़ा का शागिर्द था और मुसलमानी मज़हब के मसले ख़ूब जानता था। संवत् ८५० में मरा।

१४ क़ाज़ी—अयाज़ मुसलमानों में एक मशहूर क़ाज़ी हो गया है।

१५ केक़ख़ाँ—तुर्किस्तान का बादशाह चंगेज़ख़ाँ मुग़ल के वंश में संवत् १३५० के लगभग था।

१६ जकरयाख़ाँ—मुहम्मदशाह बादशाह के राज में लाहोर का सूबेदार था।

१७ जहाँगीर बादशाह—अकबर बादशाह के बेटे थे। इन्होंने संवत् १६६२ से संवत् १६८४ तक हिन्दुस्तान की बादशाही की।

१८ टामसन साहब—ग़दर से पहले दिल्ली के रेज़ीडेन्ट थे।

१९ दाऊद पैग़म्बर—बनी इसराईल जाति के पैग़म्बर और शामदेश के बादशाह थे। इनको ३००० वर्ष से अधिक अरसा हुआ है।

२० नवाब अलीमरदानख़ाँ—शाहजहाँ बादशाह के बड़े अमीरों में से थे और वे एक नहर भी जमनाजी की दिल्ली में लाये थे।

२१ नूरजहाँ बेगम—जहाँगीर बादशाह की बेगम थी। राज का सब काम करती थी।

२२ नूह—अब से ५००० वर्ष पहले एक पैग़म्बर हो गये हैं जिनके समय में तमाम पृथ्वी पानी में डूब गई थी और वे नाव में बैठकर बचे थे।

२३ नौशेरवाँ—ईरान का फ़ारसी बादशाह था जिसका अदल इन्साफ़ आज तक मशहूर है। इसने संवत् ५८८ से संवत् ६३६ तक बादशाही की।

२४ पंडित देवीप्रसाद—पहले मथुरा में डिप्टी कलेक्टर थे।

२५ पंडित दीनानाथ—राज जोधपुर के मुसाहिब हैं और इनके बाप पण्डित शिवनारायणजी श्रीहुज़ूर के प्राईवेट सिक्रेटरी थे।

२६ बनीइसराईल—एक जाति का नाम है जो पहले शाम और मिश्रदेश में राज करती थी। यहूदी लोग इसी जाति में से हैं। इस जाति में बड़े बड़े पैग़म्बर दाऊद, सुलेमान, यूसुफ़ मूसा और ईसा आदि हुए हैं।

२७ बुज़ुर्चमहर—नौशेरवाँ बादशाह का वज़ीर था और बड़ा बुद्धिमान् था।

२८ मख़दूमुलमुल्क—यह भी अबदुलनबी के समान अकबर बादशाह का एक कर्मचारी था जो हिंदू लोगों से द्वेष रखता था। नाम इसका शेख़अबदुल्ला था। इसका भी वही हाल हुआ जो अबदुलनबी का हुआ था।

२९ महाराजा कल्यानसिंहजी—किशनगढ़ के राजा थे और ख़ानगी झगड़ों के मारे विशेष करके दिल्ली में रहा करते थे और वहीं संवत् १८९४ में मरे।

३० महाराजा बख़तसिंहजी—नागोर और जोधपुर के राजा थे। इनके न्याय प्रसिद्ध हैं। संवत् १८०९ में शांत हुए।

३१ महाराजा विजयसिंहजी—महाराज बख़तसिंहजी के बेटे थे। इन्होंने संवत् १८०९ से संवत् १८४९ तक मारवाड़ का राज किया।

३२ महाराजा प्रतापसिंहजी—संवत् १८४५ के क़रीब किशनगढ़ के राजा थे।

३३ महाराजा मुहकमसिंहजी—महाराजा कल्याणसिंहजी के बेटे और किशनगढ़ के राजा थे। संवत् १८९७ में परलोकगामी हुए।

३४ महाराजा रणजीतसिंहजी—पंजाब के मशहूर महाराजा थे। इन्होंने अपनी बहादुरी से लाहौर, मुलतान, कशमीर और पेशावर वग़ैरह मुल्कों को पठानों से फ़तह करके सिक्खों का साम्राज्य स्थापित किया था जो उनके पीछे शीघ्रही अँगरेज़ों के हाथ आगया। उनके बेटे महाराजा दिलीपसिंह ईसाई होकर लंडन में रहते थे फिर रूस में जाकर मरे।

३५ महाराजा सवाई जयसिंहजी—जयपुर के सुविख्यात राजा थे। इन्होंने संवत् १७८७ में जयपुर को इस ख़ूबी से बसाया कि उसका जवाब नहीं है। इनको बादशाही दरबार से बड़े बड़े ओहदे और अधिकार मिले थे। संवत् १८०० में मर गये।

३६ मियाँ भूरा—सुलतान सिकंदर लोदी का मीर अदल अर्थात् न्यायाधीश था।

३७ मुल्ला अबदुलक़ादिर बदाऊनी—अकबर बादशाह के मुंशियों में नौकर था। इसने बादशाह के हुक्म से महाभारत, रामायण और सिंहासनबत्तीसी वग़ैरह का फ़ारसी में तरजुमा किया है और अकबर बादशाह का बहुत सा सही सही हाल अपनी किताब मुंतख़िब तवारीख़ में लिखा है जो अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामे में नहीं लिखा था।

३८ मुहम्मद पैग़म्बर—संवत् ६२७ में मक्के में जन्मे। संवत् ६६७ में इन्होंने मुसलमानी मत चलाया और संवत् ६८९ में मदीने में फ़ौत हुए।

३९ रंभा—राजा इन्द्र के अखाड़े की एक अप्सरा का नाम है।

४० राजा इन्द्र—देवतों के राजा का नाम है। उनका हुक्म पानी, बादल, बिजली और हवा पर भी चलता है।

४१ राजा विक्रमादित्य—उज्जैन के महाराजाधिराज थे। इनका राज सब हिन्दुस्तान में था। इन्हीं का चलाया हुआ संवत् आज तक चलता है।

४२ राजा बीरबल—अकबर बादशाह के मुसाहिब थे। इनकी बुद्धि और हाज़िरजवाबी की तारीफ़ आज तक होती है। ये संवत् १६४३ में अफ़-

ग़ानिस्तान फ़तह करने को गये थे। वहाँ पठानों से लड़कर काम आये। बादशाह ने इनके शोक में दो तीन दिन तक खाना नहीं खाया।

४३ राजा भोज—राजा भोज धारा नगरी के महाराजाधिराज थे। इनके राज में संस्कृत की अत्यन्त उन्नति थी। इन्होंने ज्योतिषग्रन्थ राज-मृगाङ्क शाके ६६४ संवत् १०६६ में बनाया है।

४४ राजा युधिष्ठिर—इस समय से प्राय: ३५०० वर्ष पहले दिल्ली में राज करते थे। इन्होंने महाभारत की मशहूर लड़ाई जीती थी।

४५ राजा शालिवाहन—दक्षिण के राजा थे। इनका शक अब तक चलता है।

४६ लारंस साहब—सन् १८५७ में राजपूताने के रेज़ीडंट थे।

४७ श्रीकृष्ण महाराज—विष्णु भगवान् के अवतार थे। मथुरा में जन्म लिया। द्वारिका में जाकर राज किया। इनको सब हिन्दू पूजते हैं। ये महाभारत की लड़ाई में विद्यमान थे।

४८ साम—नूह पैग़म्बर का बड़ा बेटा था।

४६ सीटन साहब—अँगरेज़ी अमलदारी के प्रारम्भ में दिल्ली के रेज़ीडंट थे।

५० सुलतान ग़यासुद्दीन बलबन—संवत् १३३२ में दिल्ली का बादशाह हुआ था। वह बड़ा घमण्डी और दबदबे वाला था। छोटे आदमियों को सामने नहीं आने देता था। कहता था कि इनसे बोलने और इनको दरबार में बुलाने से बादशाही रोबदाब घट जाता है।

५१ सुलतान फ़ीरोज़ तुग़लक़—संवत् १४०६ से संवत् १४४७ तक दिल्ली का बादशाह रहा। इसने कई बातें प्रजा के सुख की की थीं।

५२ सुलतान मलिक शाह—सलजूकी ईरान का बड़ा बादशाह था। इसका हुक्म पूर्व में चीन, पश्चिम में रूम, उत्तर में रूस और दक्षिण में हिन्दुस्तान तक चलता था। इसका देहान्त संवत् ११५० में हुआ।

५३ सुलतान महमूद ग़ज़नवी—ग़ज़नीन के बादशाहों में बड़ा विजयी और ख़ूनी था। संवत् १०५९ से संवत् १०८३ तक हिन्दुस्तान के ऊपर धावा करता, देशों को लूटता और मन्दिरों को तोड़ता रहा। निदान संवत् १०८८ में अपने लूटे हुए सोने, चाँदी और जवाहरात को बड़े शोक और सन्ताप से देख देख कर मर गया।

५४ सुलतान सिकन्दर लोदी—संवत् १५४६ में दिल्ली के तख़्त पर बैठा था। इसने हिन्दुओं पर बहुत ज़ुल्म किये। संस्कृत पढ़ना पढ़ाना बन्द कर दिया। संवत् १५७६ में बड़े कष्ट से मरा।

५५ सुलेमान पैग़म्बर—दाऊद के बेटे और बहुत से देशों के बादशाह थे और पैग़म्बर भी थे।

५६ शदीद—नूह पैग़म्बर की औलाद से अदन का बादशाह था।

५७ शीदी फ़ौलादख़ाँ—औरङ्गज़ेब बादशाह के राज में दिल्ली का कोतवाल था।

५८ शेख़ अबुलफ़ज़ल—अकबर बादशाह का वज़ीर था। इसने अकबरनामा और आईन अकबरी दो बड़ी किताबें बनाई हैं। संवत् १६६० में राजा बरसिंहदेव बुन्देला ने शाहज़ादा जहाँगीर के हुक्मसे इसको मार डाला।

५९ शेख़ मुबारक—एक बड़ा ज़बरदस्त मौलवी नागोर का रहने वाला था। इसके बेटे शेख़फ़ैजी और शेख़ अबुल फ़ज़ल अकबर बादशाह के मुसाहिब और मन्त्री थे।

६० हारूँरशीद ख़लीफ़ा—बग़दाद के अब्बासी ख़लीफ़ों में बड़ा नामी और तेजस्वी ख़लीफ़ा हुआ है। इसका हुक्म आधी से ज़ियादा दुनिया में चलता था। इसके समय में विद्या की ख़ूब उन्नति थी। यह जिसके साथ बात करता था उसको कुछ इनाम भी ज़रूर मिलता था। संवत् ८६५ में मर गया।

६१ हुरमुज—नौशेरवाँ बादशाह का बेटा था। इसने पहले पहल तो ख़ूब इन्साफ़ किया परन्तु फिर बड़ा ज़ालिम हो गया। निदान लोगों ने पकड़ कर क़ैद कर दिया और यह क़ैद में ही मर गया।